*Accipiter badius* (शिकरा)

## 1. वन सुरक्षा (कटान)

| क्रम सं. | परिपत्र/आदेश संख्या | दिनांक | विषयवस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ26(71)04/विधि/प्रमुवसं/ 6619- 6769 | 6.10.04 | डी.बी. सिविल रिट संख्या 3707/04 सुओ मोटो बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.8.04 की अनुपालना में। | 05 |
| 2. | एफ14( )2004/वसु/प्रमुवसं/3463- 3612 | 31.3.2005 | ''कदम्ब के वृक्षों'' की सुरक्षा संबंधी। | 05 |

## 2. वन सुरक्षा (टी.पी.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ19(अ)84-85/पार्ट-5/वसु/ प्रमुवसं /8488-8637 | 26.9.2006 | राज्य में 8 प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य प्रजाति की टिम्बर को परिवहन साधनों से परिवहन किया जाना वन उपज परिवहन 1957 का उल्लंघन माना जावेगा। | 06 |
| 2. | एफ19(अ)84-85/वसु/प्रमुवसं/ पार्ट-V/5278 | 19.6.2007 | राजस्थान राज्य के बाहर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) से बने कोयले का परिवहन नहीं किया जावें। | 07 |

## 3. वन सुरक्षा (सामुदायिक भूमि)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ120(517) प्रशि./पंराज/99/291 | 27.4.2001 | पंचायत की भूमि पर चारागाह विकास, ईंधन, वृक्षारोपण की सुरक्षा बाबत्। | 08 |
| 2. | एफ139 ( ) पराविं/विधि/जलेसं/वन विभाग/मावली/2002/1224 | 5.6.2002 | वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन क्षेत्रों की उचित देखभाल के संबंध में। | 08 |

## 4. वन सुरक्षा (वन अपराधों का निस्तारण)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F2 (20) Rev.Gr.8/79 Jaipur | 26.10.1986 | धारा 68 व 72 में प्रदत्त शक्तियां | 09 |
| 2. | एफ6(3)85/वसु/प्रमुवसं/4988 | 30.4.2008 | एफ.आर. (अंतिम रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत निर्देश) | 10 |
| 3. | एफ()प्रमुवसं/8550-8669 | 27.8.2008 | वन अपराधों के निस्तारण हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाने के संबंध में। | 12 |

## वन सुरक्षा (अतिक्रमण)

| क्रम सं. | परिपत्र/आदेश संख्या | दिनांक | विषयवस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ()प्रमुवसं/वसु/3136-3285 | 19.4.2001 | डी.बी. सिविल रिट संख्या 3707/04 सुओ मोटो बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.8.04 की अनुपालना में। | 16 |
| 2. | एफ14()02/वसु/प्रमुवसं/6052 | 21.6.2002 | वनभूमि पर अतिक्रमणों को बेदखल करने के संबंध में। | 17 |
| 3. | F.14( )01/FP/PCCF/15-154 | 2.1.03 | Eviction of all illegal encroachments on forest land in various States/UTs Time Bound Action Plan-Clarification thereof. | 18 |
| 4. | – | – | भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91/काश्तकारी अधिनियम | 19 |

## वन सुरक्षा (खनन)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प.1(9)वन/96 जयपुर, | 28.2.2000 | घरेलू उपयोग हेतु चेजा पत्थर परिवहन की अनुमति बाबत् | 21 |
| 2. | एफ16(6)82/वसु/प्रमुवसं/ 6565- 6614 | 10.8.2001 | वन सम्पदा के अवैध खनन नहीं होने देने का मासिक प्रमाण-पत्र देने बाबत् | 22 |
| 3. | एफ16(एन.ओ.सी.)98/वसु/ प्रमुवस/ 7200 | 13.9.2001 | खनिज विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में | 22 |
| 4. | एफ16(6)82/वसु/प्रमुवसं/ 4954- 5093 | 30.4.2003 | वन अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उलुंघन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना के जिम्मेदार होंगे। | 23 |
| 5. | F.No.11-55/2002-FC/MOEF PCCF endorsement No. F16 (Circular) 2000 /FP/PCCF/ 6859 -6998 | 22.5.2003 23.6.2003 | Request for consideration of period of closures of mining due to Supreme Court's order dated 12.12.1996 as dies non and for adding the same to diversion period as extension. | 24 |

| क्रम सं. | परिपत्र/आदेश संख्या | दिनांक | विषयवस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 6. | F.No.11-9/98-FC and MOEF F16(S.C.)96/PIII/PCCF/FP/103-252 | 20-24.11.03 2.1.2004 | Mining leases in National Parks / Sanctuaries etc. | 24 |
| 7. | एफ16(एनओसी)98/वसु/प्रमुवसं/ 2921 | 20.3.2004 | खनिज विभाग से प्राप्त प्रार्थना पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र के निस्तारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। | 25 |
| 8. | F.No.7-19/2004-FC PCCF endorsement No. F.16(Circular) 05/FP/PCCF/ 9971-10126 | 22.9.2005 21.10.2005 | Supreme Court order dated 16.9.2005 in IA No. 1000 in Writ Petition (C) No. 202 of 1995 Jamwa Ramgarh Sanctuary matter. | 26 |
| 9. | एफ16 (एनओसीसर्कुलर) 06/ वसु/ प्रमुवसं/10268 | 16.10.2008 | खनन प्रयोजनार्थ वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश। | 27 |


## वन सुरक्षा (अग्नि)


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9-6/99- FPD /MOEF | 22.6.2000 | Guidelines for prevention and control of forest fires. | 29 |
| 2. | एफ14()99/वसु/प्रमुवसं/6592- 6741 | 30.9.2000 | ग्रीष्मकाल में वनों में आग लगने के संबंध में। | 31 |
| 3. | 3-1/97-FPD (MOEF) F14( )99/Fire/PCCF/6542-6671 | 30.4.2002 9.7.2002 | Fire prevention and control measures during the coming fire season. | 31 |


## वन सुरक्षा (आरा मशीन)


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ36(7)2004-05/पार्ट-III/5480 | 9.6.2005 | अवैध आरा मशीन बंद कराने बाबत्। | 33 |
| 2. | एफ ()वसु/प्रमुवसं/3908-4058 | 20.5.06 | आरा मशीन को बंद करने हेतु ठोस कार्यवाही करने के क्रम में | 34 |
| 3. | एफ36(7)04-05/वसु/ प्रमुवसं/4671-4820 | 6.6.2006 | अवैध आरा मशीनों के खिलाफ कार्यवाही बाबत्। | 34 |
| 4. | एफ( )वसु/प्रमुवसं/4855 | 8.6.2006 | अवैध आरा मशीन का विद्युत विच्छेद करवाकर तथा क्षेत्र में अवैध आरा | 35 |

| क्रम सं. | परिपत्र/आदेश संख्या | दिनांक | विषयवस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | मशीन न चलने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने बाबत्। | |
| 5. | No. 2-7/CEC/SC/2006-Pt.IV | 18.7.2006 | Clarification regarding permission for shifting of saw mills from one place to another within the State and cases involving the transfer of license from one person to another. | 35 |
| 6. | एफ()वसु/प्रमुवसं/6674-6824 | 25.7.2006 | लाइसेंस प्राप्त वैध आरा मशीनों की राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आरा मशीन स्थान परिवर्तन के संबंध में दिशा-निर्देश। | 37 |
| 7. | एफ36(8)04/वसु/प्रमुवसं/ 10092- 10241 | 13.11.2006 | छोटी आरा मशीनों को (61 से.मी. तक की) लाइसेंस दिलाये जाने बाबत् | 39 |
| 8. | एफ36(8)06/वसु/प्रमुवसं/ 401-550 | 15.1.2007 | काष्ठीय हस्तशिल्प आरा मशीन के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में। | 39 |
| 9. | एफ36(7)03/वसु/प्रमुवसं/ 1309-43 | 24.2.2007 | पूर्व में जारी आरा मशीन लाइसेंसों की वैधता बाबत्। | 42 |
| 10. | एफ( ) / / प्रमुवसं/2933 | 24.4.2007 | अवैध आरा मशीनों का संचालन व प्रतिबंधित पेड़ों का विदोहन तथा परिसर में पाई गई लकड़ी को जब्त करने के संबंध में। | 43 |
| 11. | एफ( )2008/वसु/प्रमुवसं/ 1823-1922 | 14.2.2008 | वुड हैण्डीक्राफ्ट आरा मशीन लाइसेंस हेतु दिशा-निर्देश। | 44 |
| 12. | एफ()2008/वसु/प्रमुवसं/1923- 2022 | 14.2.2008 | राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैध आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु दिशा-निर्देश। | 46 |
| 13. | एफ36(7)03/वसु/प्रमुवसं/ 4573-4702 | 17.4.2008 | आरा मशीन स्थान परिवर्तन बाबत्। | 47 |

## वन सुरक्षा (कटान)

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ26(71)04/विधि/प्रमुवसं/6619- 6769 दिनांक 6.10.2004**

निमित्त :-

समस्त मण्डल वन अधिकारी,

उप वन संरक्षक, राजस्थान।

**विषय : डी.बी. सिविल रिट संख्या 3707/04 सुओ मोटो बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.8.2004 की अनुपालना में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.9.2003 को रिट निर्णित कर पारित आदेश दिनांक 27.8.2004 की अक्षरशः पालना के निर्देश प्रदान किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.8.2004 अनुसार शीघ्र पालना सुनिश्चित करावें:-

"The Hon'ble High Court, Jodhpur has directed to prevent felling of trees in the forest areas and trees which are not exempt under the Rajasthan Forest (Produce Transit) Rules, 1957. In so far as Tecomella Undulata (Rohida) and Prosopis Cineraria (Khejadi) are concerned, felling of these trees shall not be permitted by the respondents."

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
वन संरक्षक (श्रम एवं विधि)
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ14( )2004/वसु/प्रमुवसं/3463- 3612 दिनांक 31.3.2005**

**विषय : ''कदम्ब के वृक्षों'' की सुरक्षा संबंधी।**

उपरोक्त विषय में जैसा कि आपको विदित है कि वनों की सुरक्षा, पेड़ों की अवैध कटाई आदि की रोकथाम एवं इस प्रकार के मसलों पर प्रभावी कार्यवाही करना वन विभाग का दायित्व है। इसी परिप्रेक्ष्य में ''कदम्ब के वृक्षों'' की सुरक्षा के संबंध में एक एस.बी. सिविल रिट संख्या 3448/04 सुरेश शर्मा बनाम सरकार विचाराधीन है तथा इसमें माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्य में स्थित कदम्ब के वृक्षों की गणना एवं सर्वे का कार्य जारी है तथा इस प्रजाति के वृक्षों की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। अतः समस्त वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि कदम्ब के वृक्षों की सुरक्षा पूर्ण जिम्मेदारी के साथ की जावे, ताकि माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना ना हो सके।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रजाति के वृक्षों के भी अवैध कटान पर प्रभावी रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जावें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

## वन सुरक्षा (टी.पी.)

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ19(अ)84-85/पार्ट-5/प्रमुवसं/ 8488-8637 दिनांक 26.9.2006**

राज्य के समस्त वनाधिकारियों को स्मरण कराया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.7.86 द्वारा समस्त प्रजातियों की वन उपज को राज्य के भीतर अयांत्रिकी (Non mechanised) वाहनों के माध्यम से परिवहन की छूट प्रदान की गई थी। इसके उपरांत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.1.1991 सहपठित संशोधन दिनांक 21.7.99 द्वारा सात प्रजातियों (सफेदा, सू-बबूल, अरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल और शीशम) की इमारती लकड़ी को पूरे राज्य में (कतिपय क्षेत्रों को छोड़कर) यांत्रिकी साधनों सहित परिवहन की छूट प्रदान की गई थी। तदुपरांत इसी क्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.9.05 द्वारा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर पॉपलर प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी के परिवहन की भी छूट प्रदान की गई थी।

इस कार्यालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिसूचनाओं से विविध प्रजातियों की टिम्बर के परिवहन को समय-समय पर प्रदान की गई छूट को सीमित करने हेतु पुनर्विचार करने बाबत् राज्य सरकार से निवेदन किया गया।

राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का पुनः गहन परीक्षण किया गया तथा पूर्व अधिसूचना दिनांक 15.7.1986 एवं 19.1.1991 को अतिलंघित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 2.9.2006 जारी की है, जिसकी प्रति को इस परिपत्र के पृष्ठभाग में दर्शा दिया गया है। नवीन अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अब मात्र निम्नांकित 8 प्रजातियों की टिम्बर को राज्य के भीतर समस्त प्रकार के साधनों (यांत्रिकी या गैर यांत्रिक) से परिवहन हेतु राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है :-

यूकेलिप्टस, सू-बबूल, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल, शीशम और पॉपलर परन्तु यह है कि-

1. उपरोक्त छूट शीशम, यूकेलिप्टस और देशी बबूल के लिये जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले की तहसील फलौदी और ओसियां के लिये लागू नहीं होगी।
2. उपरोक्त छूट पॉपलर प्रजाति के लिये जिला श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के लिये लागू नहीं होगी।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीन अधिसूचना दिनांक 2.9.2006 जारी होने के उपरांत उपरोक्त 8 प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रजाति की टिम्बर को किसी भी प्रकार के परिवहन साधनों से (यांत्रिक अथवा गैर यांत्रिक) परिवहन किया जाना राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 का उल्लंघन होगा तथा यह कृत्य वन अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।

कृपया उक्तानुसार अपने स्तर से सभी वन अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसका व्यापक जन-प्रसार भी करें । विशेषकर ग्रामीण जनता को इसकी जानकारी रहे, इसलिए पंचायत, पंचायत समिति, जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा किया जावें ।

भवदीय,<br>
हस्ताक्षर/-<br>
प्रधान मुख्य वन संरक्षक<br>
राजस्थान, जयपुर

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN, FOREST DEPARTMENT NOTIFICATION No. F15(33) Forest/98 Jaipur, dated 2 September, 2006**

In exercise of the powers conferred by second proviso to rule 2 of the Rajasthan Forest (Produce Transit) Rules, 1957 and in super-cession of Notification Nos. F2(1)(2) Rev.8/73, dated 15.7.1986 and F2(1)(2)Rev. 8/73,

dated 19.1.1991, the State Government hereby exempts from the operation of the said rules the movement of timber of following species by any mode of transport (mechanized or non-mechanized) only within the State of Rajasthan:-

Eucalyptus, Subabul, Ardu, Vilayati Babul, Israeli Babul, Deshi Babul, Shisham and Poplar.

Provided that;

(i) the above exemption shall not be applicable for Shisham, Eucalyptus and Deshi Babul in the districts of Sri Ganganagar, Hanumangarh, Bikaner, Jaisalmer and Phalodi and Osian Tehsils of Jodhpur district.

(ii) the above exemption shall not be applicable for Poplar in the districts of Sri Ganganagar and Hanumangarh.

By Order of the Governor,
Signature/-
(Sudarshan Sethi)
Secretary

*( **भावार्थ** :- इस अधिसूचना के माध्यम से 8 प्रजातियों यथा युकेलिप्टस, सू.बबूल, अरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल, शीशम व पॉपलर को राज्य के अन्दर परिवहन की छूट दी गई है किन्तु, पॉपलर प्रजाति के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर तथा शीशम, युकेलिप्टस व देशी बबूल का श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर जिले की फलोदी व ओसियां तहसील में यह छूट लागू नहीं होगी।)*

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ19(अ)84-85/वसु/प्रमुवसं/ पार्ट-v/5278 दिनांक 19.6.2007**

इस कार्यालय के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ15(33)वन/98 दिनांक 10.1.2003 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने प्रोसोपस जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) की लकड़ी से बने कोयले को राज्य के भीतर परिवहन हेतु टी.पी. की अनिवार्यता से मुक्त किया है, की आड़ में वन क्षेत्रों/ वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों में भी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का अवैध कटान कर कोयला बनाने एवं उसका परिवहन करने की घटनायें हो सकती हैं। अतः सभी वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण क्षेत्रों में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के अवैध कटान कर कोयला बनाने की घटनाओं को रोकने के लिए अधीनस्थ स्टॉफ को सख्ती से पाबन्द किया जावे। इसके अतिरिक्त समस्त गश्तीदलों को भी इस संबंध में विशेष रूप से हिदायत दी जावे कि ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सख्त निगरानी रखी जावे।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना से मात्र राजस्थान राज्य के भीतर के गन्तव्य स्थानों हेतु ही प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की लकड़ी से बने कोयले के परिवहन हेतु टी.पी. की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। अतः इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि राजस्थान राज्य के बाहर उक्त प्रजाति से बने कोयले का परिवहन नहीं किया जावे। इसके लिए विशेषकर उन स्थानों पर वाहनों की कड़ी चैकिंग की जावे जहां से राज्य के बाहर परिवहन किये जाने की संभावना हो। यह कार्यवाही उन वन मण्डलों में विशेष रूप से की जावे जिनकी सीमा अन्य राज्यों से मिलती हो।

हस्ताक्षर/-
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
अधिनियम, राजस्थान, जयपुर

## वन सुरक्षा (सामुदायिक भूमि)

**राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग, का पत्र क्रमांक एफ120(517)प्रशि./पंराज/99/291 दिनांक 27.4.2001 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पृष्ठांकन क्रमांकः एफ21(7)99-2000/आयो/ प्रमुवसं/4203-320 दिनांक 1.8.2001**

**विषय :- पंचायत की भूमि पर चारागाह विकास, ईंधन, वृक्षारोपण की सुरक्षा बाबत्।**

मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग (राजस्थान) ने माननीय मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया है कि वन विभाग द्वारा पंचायतों की भूमि पर चारागाह विकास, ईंधन, वृक्षारोपण आदि का कार्य 5 वर्ष तक ही संधारण किया जाता है तत्पश्चात् उन्हें वापिस संबंधित पंचायत को प्रबन्ध, सुरक्षा, रखरखाव हेतु सौंप दिया जाता है परन्तु पंचायतों द्वारा उक्त बाबत् कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तथा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पेड़ों के काटने या अतिक्रमण बाबत् शिकायतें वन विभाग को भिजवा दी जाती हैं जबकि पंचायतों की चारागाह भूमि पर वन विभाग का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः ग्राम पंचायतों को चारागाह भूमि व वृक्षारोपण आदि की सुरक्षा बाबत् कार्यवाही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 50(6)(1) के अन्तर्गत पंचायतों को लोक भूमियों पर वृक्षारोपण एवं परिरक्षण का अधिकार प्राप्त है, अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त सरपंचों/ग्राम सेवकों को पाबन्द करें कि वन विभाग द्वारा पंचायतों की चारागाह भूमि पर किये गये वृक्षारोपण प्रबन्धन व सुरक्षा का दायित्व उनका ही है तथा जो व्यक्ति वृक्षादि को काटते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा ही की जावे।

हस्ताक्षर/-
निदेशक,
पंचायती राज विभाग, जयपुर

**राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग का पत्र क्रमांकःएफ139()पराविं/विधि/ज.ले.स./वन विभाग/मावली /2002/1224 दिनांक 5.6.2002 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र पृष्ठांकन क्रमांकः एफ21()99-2000/आयो/प्रमुवसं/4598-4718 दिनांक 10.7.2002**

**विषय :- वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन क्षेत्रों की उचित देखभाल के संबंध में।**

जनलेखा समिति के माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि वन विभाग द्वारा पोषित वन क्षेत्र विकसित होने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं को अच्छी हालत में हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में पेड़ों की अवैध कटाई हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि व्यर्थ हो जाती है, जो आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा जो वन क्षेत्र पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होते हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की एवं उस क्षेत्र के विकास अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे इस वन क्षेत्र की उचित देखभाल सुनिश्चित करें।

यदि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किसी वन क्षेत्र की अवैध कटाई होती है तो उस ग्राम पंचायत के सरपंच की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जावेगी, साथ ही अवैध कटाई से राज्य सरकार को जो हानि होगी, उसकी वसूली संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से की जावेगी।

उपरोक्त संबंध में संबंधित विकास अधिकारी का यह कर्तव्य एवं दायित्व होगा कि वे उनके क्षेत्र में हस्तान्तरित ऐसे वन क्षेत्र का माह में एक बार दौरा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त क्षेत्र सुरक्षित है एवं पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है और इसकी रिपोर्ट संबंधित जिला परिषद् को एवं इस विभाग को भिजवायेंगे, ताकि उनकी देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों को गम्भीरता से लेवें और इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर/-
निदेशक
पंचायत राज विभाग, जयपुर

## वन सुरक्षा (वन अपराधों का निस्तारण)

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN, REVENUE (Gr. VIII) DEPARTMENT, NOTIFICATION No. F2(20) Rev.Gr.8/79 Jaipur, dated 26th October, 1986**

In exercise of the powers conferred under section 68, read with section 76, of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) and in supercession of this Department's previous Notification No. F2(20)Rev.Gr.8/79 dated 6/5/83, the State Government hereby empowers the Forest Officers mentioned in column No. 2 of the table, within their respective territorial jurisdiction and accept compensation according to the scale prescribed in column No. 4 of the table: -

| Sr. No. | Compounding Authority | Nature of offence | Scale of compensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Forest Range Officers/ Wildlife Rangers/ Game Rangers | Offences involving transport of forest produce by headloads, animal loads and cycle loads. | The amount of compensation for the produce being carried shall be equal to its market value plus amount of penalty to the extent of an equal amount to market value of the produce being carried plus to the extent of the value of medium of transportation in lieu of confiscation of the animal or vehicle if any, used for the transportation of the produce in case of compounding amount less than the amount of penalty and value of medium of transportation, the compounding officer shall explain reasons therefore. |
| 2 | Asstt. Conservator of Forests/ Wildlife Wardens/ Asstt. Field Directors, Tiger Project | Offences involving transport of forest produce by bullock carts or any other animal driven vehicle. | |

| Sr. No. | Compounding Authority | Nature of offence | Scale of compensation |
|---|---|---|---|
| 3 | Divisional Forest Officer/ Dy. Conservator of Forests/ Dy. Chief Wild life Wardens/ Field Directors, tiger Project | Offences involving transport of Forest Produce by mechanically driven vehicles. | |

By Order
Signature/
(R.J. Majithia)
Secretary to Government

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ6(3)85/वसु/प्रमुवसं/ 4988 दिनांक 30.4.2008**

राज्य में घटित वन अपराध के कुछ प्रकरणों में मुल्जिमों के नाम, पते मालूम नहीं होते एवं स्थानीय वन कर्मियों द्वारा प्रकरण दर्ज कर नामालूम मुल्जिम प्रथम अपराध सूचना जारी करते हैं। काफी प्रयत्न के बावजूद भी जब मुल्जिमान का नाम, पता शिनाख्त नहीं हो पाते तो ऐसे प्रकरण विभाग में गुमनाम मुल्जिमों की तलाश की प्रतीक्षा में वर्षों लंबित रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरण ग्रामीणों की आपसी रंजिश के कारण दर्ज करवा दिये जाते हैं परन्तु इन प्रकरणों की जांच व अन्वेषण के दौरान तथ्य, साक्ष्य, गवाह, आरोप सिद्ध नहीं कर पाते व मुल्जिम को विभाग में एफ.आर. की प्रक्रिया निर्धारित नहीं होने से दोषमुक्त नहीं किया जा सकता व प्रकरण विभाग में लंबित रहता है जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कारणों से भी वन अपराध प्रकरण लंबित चले आ रहे हैं। फिलहाल विभाग में इन प्रकरणों पर अंतिम रिपोर्ट लगाने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अतः इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु एफ.आर. (फाइनल रिपोर्ट) लगाने की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जावेः-

1. वन अपराध मामलों में नामालूम में एफ.आई. आर. जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मुल्जिमों का पता लगाने व उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।
2. इन प्रकरणों में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक पूर्ण प्रयास करने के पश्चात् यदि कोई सुराग प्राप्त नहीं होते हैं तो इन्हें लिखित में उल्लेखित कर प्रकरण को संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/ सहायक वन संरक्षक को संभला दिया जायेगा। एफ.आर. हेतु प्रकरण वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित वृत्त स्तरीय कमेटी को उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा अपनी अनुशंषा के साथ प्रस्तावित किया जायेगा। ऐसे प्रयासों में पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्था की सहायता भी ली जावे।
3. गठित कमेटी ऐसे प्रकरणों में मुल्जिमों का पता लगाने के प्रयासों व प्रकरण में की गई कार्यवाही का गहनता से अध्ययन करेगी तथा संबंधित वन मण्डलों के ठोस प्रस्तावों पर ही एफ.आर. जारी करने की अनुशंषा अधिकृत अधिकारी को करेगी।
4. मुकदमा झूठा पाया जाने पर ठोस प्रमाणों के साथ एफ.आर. हेतु संबंधित कमेटी को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. आपसी रंजिश से दर्ज मुकदमों एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से लंबित प्रकरणों में गठित कमेटी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किये गये प्रयासों का विश्लेषण करेगी एवं तदनुसार एफ.आर. लगाने की अनुशंषा करेगी।
6. एफ.आर. देने हेतु गठित कमेटी की अनुशंषा पर संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी एफ.आर. देने हेतु अधिकृत होंगे।
7. ऐसे वन अपराध जिनमें राजकीय राशि के अपलेखन (Write off) होना है, के संबंध में उक्त गठित कमेटी अपनी राय देगी।

8. ऐसे वन अपराध, जिनमें राजकीय राशि का अपलेखन (Write off) होना है, अपलेखन की स्वीकृति सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुसार सक्षम स्तर से जारी होगी।

9. अंतिम रिपोर्ट के अवसर :- एफ.आई.आर. (FIR) जारी होने के तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के प्रकरण ही एफ.आर. किये जावेंगे। आगे यह प्रयास किये जावेंगे कि नाम नामालूम के प्रकरण दर्ज करने से पहले अपराधी का नाम, पता मालूम करने के सभी प्रयास कर लिये गये हों और कोई विकल्प न बचा हो तो ही प्रकरण दर्ज किया जावे।

### वृत्त स्तरीय कमेटी गठन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वन संरक्षक | अध्यक्ष |
| 2. | वृत्त का वरिष्ठतम उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी | सदस्य |
| 3. | संबंधित वन मण्डल वन उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी | सदस्य सचिव |

उक्त कमेटी ऐसे लंबित प्रकरणों का पुनरावलोकन प्रत्येक 6 माह में एक बार अवश्य करेगी।

### भाग-I

1. प्रकरण की दिनांक
2. नाका
3. रेंज
4. वनमण्डल
5. प्रकरण का विवरण
6. राजस्थान वन अधिनियम की धारा जिसके तहत अपराध दर्ज हुआ है
7. अन्वेषण करने वाले का नाम
8. कार्यवाही का विवरण (दिनांक वार)
9. साक्ष्य (अपराध होने अथवा न होने के)
10. कार्यवाही का निष्कर्ष
11. क्षेत्रीय वन अधिकारी को प्रकरण सौंपने की दिनांक

### भाग-II

क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा तप्तीश की विगत :-

1. अन्वेषण करने वाले का नाम
2. कार्यवाही का विवरण (दिनांकवार)
3. कार्यवाही का निष्कर्ष
4. साक्ष्य
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी की अभियुक्ति

भाग-III

1. एफ.आर. कमेटी की अभियुक्ति

2. हस्ताक्षर (कमेटी सदस्य)

एफ.आर. लगाने वाले के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर/-
उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी,
वन मण्डल ......................................
दिनांक

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )प्रमुवसं/8550-8669 दिनांक 27.8.2008**

राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि समस्त वन मण्डलों में माह सितम्बर, 2008 की दिनांक 1 से 30 तक वन अपराधों के निराकरण हेतु यह विशेष अभियान चलाया जावेगा। इस अभियान के दौरान वन मण्डलों में वन अपराधों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के साथ-साथ अत्यधिक संख्या में लम्बित प्रकरणों पर निर्णय लेकर अन्तिम प्रतिवेदन भी इस कार्यालय के आदेश संख्या 4988 दिनांक 30.4.2008 के द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा। अभी वन अपराधों की त्रैमासिक सूचना में ''अवैध आरा मशीनों'' की सूचना, अन्य वन अपराधों में शामिल किया जा रहा है परन्तु राज्य स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि अवैध आरा मशीनों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह में पृथक् से भिजवाई जावेगी। विभिन्न वन अपराध प्रकरण को विभाग में निष्पादित होने वाले प्रकरण एवं कोर्ट चालान से निस्तारण होने वाले प्रकरणों को प्रत्येक कॉलम में पृथक् से दर्शाया जावेगा जिसके लिये प्रपत्र में आवश्यक संशोधन किया जाकर सभी वनाधिकारियों को प्रपत्र प्रेषित किया जा रहा है।

वन भूमि पर अतिक्रमण निस्तारण भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रगति की त्रैमासिक सूचना पूर्ववत् पृथक् से भिजवाई जावे तथा अतिक्रमित वन क्षेत्रों का क्षेत्रफल हैक्टेयर में दर्शाया जावे। अवैध कटान, अवैध चराई, अवैध खनन, अवैध आरा मशीनों के संचालन, वन्य जीवों के शिकार एवं अन्य वन अपराधों की सूचना संशोधित प्रपत्र में भिजवाई जावे।

समस्त प्रादेशिक वन मण्डलों के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षकगणों को एवं मुख्यालय स्थित समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों के लिये प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है जो संलग्न परिशिष्ट के अनुरूप हैं। प्रभारी अधिकारियों से इस विशेष अभियान के दौरान निम्न प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :-

1. प्रभारी अधिकारी उनको आवंटित जिलों का इस विशेष अभियान अवधि में 1-15 तारीख तक 2 दिन (1 रात) तथा 16-30 तारीख तक 2 दिन (1 रात) भ्रमण करेंगे तथा अक्टूबर 5 तक इस विशेष अभियान में की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
2. निरीक्षण के दौरान वे वन सुरक्षा से सम्बन्धित वन मण्डलों के रिकार्ड का निरीक्षण करेंगे।
3. क्रास चैकिंग हेतु सैम्पल के आधार पर रेंज, नाका एवं बीट का रिकॉर्ड भी उनके द्वारा मंगवाया जायेगा।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय आदेश दिनांक 30.4.2008 के अनुसार लम्बित वन अपराध प्रकरणों में एफ.आर. लगाया जाना

सुनिश्चित करेंगे।

5. न्यायालयों में चालान किये गये वन अपराध प्रकरणों की समीक्षा कर यह देखेंगे कि कितने प्रकरणों में सजा दी गई है। ऐसे प्रकरण जिनमें सजा दी गई हो या जो प्रकरण खारिज किये गये हों, उनकी केस स्टडी कर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भिजवायेंगे।

6. एल.आर.ए. 91 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक न्यायालय के अन्तर्गत अतिक्रमण से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा कर यह पता लगायेंगे कि कितने केस कब से चले आ रहे हैं, कितनों का निस्तारण हो गया, कितनों में मुआवजा लिया गया है, कितने प्रकरणों के अतिक्रमण हटाये गये हैं एवं कितने प्रकरणों में जेल की सजा दी गई है।

7. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों के कितने केसेज वन अधिकार समिति ने चिन्हित किये हैं और कितने अधिकार पत्र जिला स्तरीय समिति ने अब तक दिये हैं।

8. अवैध आरा मशीनों की समीक्षा एवं इनके न्यायालयों में चालान, बिजली कनेक्शन विच्छेद एवं सॉ मिल बन्द करने की सूचना एकत्रित कर रिपोर्ट पेश करेंगे।

9. वन अपराध प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये सुझाव एवं इनके निस्तारण में सुधार की प्रक्रिया के बारे में अपनी राय देंगे।

10. प्रत्येक वन मण्डल में वन अपराध की दृष्टि से संवेदनशील वन क्षेत्रों की पहचान भी करना है।

माह सितम्बर, 2008 में प्रभारी अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से माह अक्टूबर में प्राप्त होने के पश्चात् विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े में राज्य सरकार के द्वारा की जानी है। इस अभियान के तहत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से वन अपराधों के निराकरण हेतु उनके कनिष्ठ जिला अधिकारी को न केवल उनका दीर्घ अनुभव प्राप्त होगा बल्कि इसके साथ-साथ अधिक से अधिक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाकर इस विशेष अभियान को सफल बनाया जावेगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

संलग्न : परिशिष्ट 'क' - प्रभारी अधिकारियों की सूची

परिशिष्ट 'ख' - वन अपराधों की प्रगति रिपोर्ट

परिशिष्ट 'ग' - वन भूमि पर अतिक्रमण निस्तारण की
(एल.आर.ए.-91 के तहत) प्रगति की त्रैमासिक सूचना

*परिशिष्ट- 'क'*

**प्रभारी अधिकारियों की सूची**

| क्र.सं. | नाम वन मण्डल | प्रभारी अधिकारी |
|---|---|---|
| | **रीजनल मुख्य वन संरक्षक, जयपुर** | |
| 1. | उप वन संरक्षक, जयपुर (दक्षिण)/जयपुर(उत्तर)/ जयपुर (मध्य) | मुख्य वन संरक्षक, जयपुर |
| 2. | उप वन संरक्षक, अलवर / दौसा | वन संरक्षक, अ.वृ.प., जयपुर |
| 3. | उप वन संरक्षक, भरतपुर | वन संरक्षक, मेडिसनल प्लांट, जयपुर |

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय ...........................
वन अपराधियों की प्रगति रिपोर्ट (.................)
अवधि त्रैमास .......................... से ................ तक

| क्र. सं. | वन मण्डल | गत त्रैमास के लम्बित प्रकरण | | इस त्रैमास में दर्ज प्रकरण | | योग | | इस त्रैमास में फेसल प्रकरण | | मुआवजा जो जमा किया गया (रु.) | जब्त वन पैदावार की कीमत (रु.) | इस त्रैमास के अन्त में लम्बित प्रकरण | | | विभाग में लम्बित प्रकरणों की संख्या | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **विभाग** | **कोर्ट** | **विभाग** | **कोर्ट** | **विभाग** | **कोर्ट** | **विभाग** | **कोर्ट** | | | **विभाग** | **कोर्ट** | **योग** | 1 वर्ष से कम अवधि के | 1 से 3 वर्ष की अवधि के | 3 वर्ष से अधिक अवधि के | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

हस्ताक्षर

परिशिष्ट "ग"

कार्यालय .......................................................
वन भूमि पर अतिक्रमण निस्तारण की (एल.आर.ए.-91 के तहत) प्रगति की त्रैमासिक सूचना
अवधि त्रैमास .................................. से .................................... तक

| क्र. सं. | वन मण्डल | गत त्रैमास के लम्बित प्रकरण | | इस त्रैमास में दर्ज प्रकरण | | योग | | इस त्रैमास के अंत में निर्णित प्रकरण | | इस त्रैमास के अंत में अवशेष प्रकरण | | शास्ति | | | कारावास से दण्डित प्रकरणों की संख्या | लम्बित प्रकरणों की संख्या | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | क्षेत्रफल (है.) | संख्या | क्षेत्रफल (है.) | संख्या | क्षेत्रफल (है.) | संख्या | क्षेत्रफल (है.) | संख्या | क्षेत्रफल (है.) | आरोपित | वसूल | शेष | | 1 वर्ष से कम अवधि के | 1 से 3 वर्ष की अवधि के | 3 वर्ष से अधिक अवधि के | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

हस्ताक्षर

## वन सुरक्षा (अतिक्रमण)

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ()प्रमुवसं/वसु/3136-3285 दिनांक 19.4.2001**

**विषय :- शहरों के पास स्थित वन भूमि को आवासीय दृष्टि से अतिक्रमणों की संभावना से बचाने बाबत्।**

जैसा कि आपको विदित है राज्य में कई कस्बों एवं नगरों जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर आदि में वन क्षेत्र, शहरों की आबादी के निकट स्थित है। बढ़ती आबादी के कारण कुछ तत्वों द्वारा आवासीय एवं अन्य उद्देश्यों हेतु वन भूमि पर अतिक्रमण कर स्ट्रक्चर खड़े किये जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिस कारण इन बड़े नगरों एवं कस्बों की वन भूमि में अतिक्रमण की विकराल समस्या खड़ी हो गई है तथा इससे विभाग की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। गत दिनों राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.3.2001 को जोधपुर जिले की वन भूमि पर कस्बों को नियमन करने का समाचार भी प्रकाशित किया गया था, उससे भी भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे अतिक्रमणों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कर उसके सुधारात्मक उपाय किये जायें।

शहरों के निकट वन भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या का मूल कारण इन शहरों में बढ़ता जनसंख्या का दबाव तथा सस्ती आवासीय भूमि की मांग के अनुरूप कमी होना है। पूर्व में वन भूमि पर किये गये कब्जों से बनी कुछ अनियमित कॉलोनियों को विभिन्न पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार द्वारा नियमन कर देने के कारण भी ऐसे अतिक्रमणों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे कार्यों से भू-माफियों एवं उनसे विभाग के कुछ स्वार्थी तत्वों की सांठ-गांठ की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, परन्तु कहीं अतिक्रमण होने एवं उसके नियमन होने के उपरांत भी वन सीमा का स्थानीय निर्धारण/पुनर्निर्धारण नहीं होने से भी ऐसे क्षेत्रों की प्रभावी गश्त करने व नये अतिक्रमण होने का पता लगाना भी कठिन होता है और इसकी आड़ में स्वार्थी तत्वों द्वारा नये अतिक्रमणों को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा ही दिया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि शहरों के समीप स्थित वन क्षेत्रों की मूल सीमा का निर्धारण कर अतिक्रमणों की संख्या एवं अतिक्रमित क्षेत्र का सही निर्धारण किया जाये और अवैध अतिक्रमणों को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये। यदि व्यावहारिक कारणों से कानून व्यवस्था की समस्या, कानूनी स्थिति जैसे न्यायालयों का निषेधाज्ञा आदि के कारण कुछ अतिक्रमणों को हटाया जाना सम्भव नहीं हो तो ऐसे अतिक्रमणों बाबत् स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क कर उस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्ध किया जावे ताकि वन सीमा अक्षुण्ण रह सके। इसके साथ ही शहरों के नजदीक के वन क्षेत्रों की सीमा का स्थायी सीमांकन किया जाये तथा पुख्ता सीमा पिलर्स का पुनर्निर्माण एवं संधारण इस प्रकार किया जाये कि वे पिलर्स स्थायी रूप से अपने नियत स्थान पर मौजूद बने रहें। पिलर्स से छेड़छाड़ होने पर राजस्थान वन अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही कराई जाये। जहां तक संभव हो, स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से अथवा विभिन्न विकास योजनाओं के साथ वन सीमा पर प्रभावी स्थायी फैन्सिंग करवाकर उसका सतत् प्रभावी संधारण किया जाता रहे ताकि अतिक्रमण नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त वन सीमा के आस-पास स्थित अस्थायी स्ट्रक्चर्स की समय-समय पर वीडियोग्राफी कराने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाकर अतिक्रमणों की मूल प्रवृत्ति पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है।

वन भूमि विशेषतः शहरों के समीप का वन भूमि का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में कराने का कार्य भी अभियान के रूप में किया जाकर उसको तत्काल पूर्ण कराया जाये। इसके साथ ही वन रक्षकों एवं उच्चतर स्तर के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने निर्धारित मापदण्ड के अनुसार क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करना चाहिये एवं अतिक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों विशेषतः शहरों के समीप स्थित वन भूमि के निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये और निरीक्षण के समय भूमि की सीमा विशेषतः बाउन्ड्री पिलर्स की स्थिति उनके क्रमांक तथा यदि सीमा पर कोई फैन्सिंग की गई हो तो उसकी मजबूती की स्थिति की सतत् समीक्षा कर उसमें आवश्यक सुधार की कार्यवाही तत्काल की जाये। इस संबंध में आपका ध्यान इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक एफ2सी()32/76/ए.पी.ए./सी.सी.एफ./680-750/सी दिनांक 30.6.1976 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें मण्डल वन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के सीमा चैकिंग के मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के सीमा चैकिंग के नॉर्म्स निर्धारित हैं। गोपनीय प्रतिवेदन भरते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि निर्धारित नॉर्म्स की विधिवत चैकिंग की गई है तथा उसी अनुरूप उपयुक्त प्रविष्ठि भी अंकित की जावे।

अतः आप हर प्रकार से प्रयास कर सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में कोई नया अतिक्रमण वन भूमि में नहीं हो और यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उसे तुरन्त बेदखल कराया जाये। पुराने अतिक्रमणों को भी निर्धारित प्रक्रिया से हटाने की कार्यवाही की जावे। इस ओर आपका संवेदनशील रहना अत्यन्त आवश्यक है तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से अर्द्धशासकीय पत्र से अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक पखवाड़े में सूचित करें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ14()02/वसु/प्रमुवसं/6052 दिनांक 21.6.2002**

वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण विशेष रूप से शहरों के पास स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्रांक 14(49)99/वसु/प्रमुवसं/3136-3285 दिनांक 19.4.2001 से जारी परिपत्र की ओर आकर्षित है, जिसके द्वारा शहरों के पास स्थित वन भूमि को आवासीय दृष्टि से अतिक्रमणों की संभावना से बचाने बाबत् विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये थे। इसी क्रम में भारत सरकार ने पत्रांक 7-16/2002-एफ. सी. दिनांक 3.5.2002 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में वन भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं।

ऐसे समस्त अतिक्रमण, जो कि नियमन योग्य नहीं हैं, उन्हें वन भूमि से बेदखल किया जायेगा एवं इस हेतु एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम तय कर अधिकतम 3 माह की अवधि में दिनांक 30.9.2002 तक बेदखल किया जायेगा। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ वन भूमि पर स्थित अतिक्रमणों को बेदखल करना सुनिश्चित करें। जहाँ कहीं वन भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने में परेशानी होती हो अथवा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती हो, ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाए जावें। वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को बेदखल करने की समीक्षा हेतु इस कार्यालय में पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी अतिक्रमणों के बेदखली की कार्यवाही की समीक्षा करेगी। इसी क्रम में राज्य स्तर पर माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी अतिक्रमणों के बेदखली की कार्यवाही के संबंध में वस्तुस्थिति की समीक्षा करेगी। उक्त कमेटी की बैठक प्रति 6 माह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी वन भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने/नहीं हटाने के क्रम में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी जिसमें राजस्व अधिकारी भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक वृत्त स्तर पर संबंधित वन संरक्षक की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कमेटी में सदस्यों के रूप में संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक होंगे। उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक त्रैमास में होगी एवं उक्त बैठक में वन भूमि से अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रगति की समीक्षा करेगी एवं यदि मण्डल स्तर पर कोई कठिनाई आ रही हो तो उसका निराकरण भी करेगी।

अतः समस्त वनाधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि वन भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने/हटाने की प्रभावी कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि तदनुसार भारत सरकार को प्रगति से अवगत कराया जा सके।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

---

**Copy of letter No. IGF/FC/2002 dated 30.10.2002 from Dr. V.K. Bahuguna, Inspector General of Forests, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi to the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur etc. Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur letter No. F.14( )01/FP/PCCF/15-154 dated 2.1.03**

**Sub.: Eviction of all illegal encroachments on forest land in various States/UTs Time Bound Action Plan- Clarification thereof.**

Sir,

I would like to draw your attention to this Ministry's letter of even number dated 3.5.2002 on the above mentioned subject. This Ministry has received several communications from various individuals and organisations requesting to stop the eviction of encroachments in various States. There is an apprehension in some quarters that the present communication supersede the guidelines issued vide this Ministry No. 30-1/90-FD dated 18.9.1990 relating to regularization of encroachments of forest lands.

This is to clarify that there is no change in the policy of the Ministry with regard to regularisation of pre-1980 eligible encroachments and the commitment with reference to forest tribals for want of First Offence Report/ non-settlement of rights, etc., the States may consider setting up Commission/ Committees at the level of Districts involving Revenue, Forest and Tribal Welfare Department for their settlement provided other conditions are fulfilled. A copy of the guidelines issued by the Ministry in 1990 is enclosed. In such identified cases the States should submit their proposals to the Central Government so that final decision can be taken within a time-bound manner.

The States should simultaneously show progress on the eviction of ineligible encroachments. The States may rehabilitate these encroachers on non-forest land as per their policies. However, States may consider 'in situ' economic rehabilitation by involving these ineligible encroachers in forestry activities through Joint Forest Management. But forests land encroached for agriculture, building etc. will have to be vacated and put to forests use in the interest of Tribal Communities.

*(**भावार्थ** : पत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन है।)*

### राज़ भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 - जमीन सरकार की है, हम उसके खातेदार हैं। सरकार की तरफ से हिसाब, किताब तहसीलदार रखता है :-

| | |
|---|---|
| धारा 88 | समस्त सड़कें और समस्त भूमियां, जो दूसरों की सम्पत्ति नहीं हैं, राज्य सरकार की होंगी। |
| धारा 90 (क) | कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं। राज्य सरकार को निर्धारित राशि जमा कराने उपरान्त ही कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए अनुज्ञात कर सकती है। |
| | यदि कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सक्षम स्वीकृति के लिए प्रयोग लिया जाये तो वह व्यक्ति अतिक्रमी कहलायेगा तथा उन्हें बेदखल किया जावेगा। बेदखली की प्रक्रिया धारा 91 में दी गई है। |
| | राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के सहायक वन संरक्षक को अपने क्षेत्राधिकार में धारा 91 के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। |
| धारा 91 | भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग<br>91(1)<br>91(2) जुर्माना 50 गुणा + भूमि खाली कर दो<br>91(3) बेदखली की कार्यवाही करना<br>91(4) बेदखली की कार्यवाही करना<br>91(5)<br>91(6)(ए) नोटिस के बाद 15 दिन में कब्जा नहीं छोड़ता है तो उसे 3 साल तक का कारावास एवं 20,000 रुपये दण्ड। परन्तु यह कारावास एक माह से कम का नहीं होगा। (उप अधीक्षक पुलिस)।<br>91(6)(बी) कर्मचारी को भी एक माह का कारावास तथा या 1,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है-न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से। |
| धारा 92 | विशेष प्रयोजनों के लिए भूमि पृथक रखी जा सकती है - चारागाह, वन, आबादी |
| धारा 94 | वन उपज के विनियमन, नियंत्रण और प्रबंध करने की शक्तियाँ - अधिकारिक दण्ड न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये तक दण्ड/तथा उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रतिदिन 50/- रुपये दण्ड |
| धारा 94 (क) | सडक के किनारे के वृक्ष-सरकारी खर्चे से लगाये गये वृक्ष सरकार के होंगे। |
| धारा 129 | सीमा चिन्हों के बारे में धारकों के दायित्व<br>-तहसीलदार को रिपोर्ट कर देवें। वह भी काश्तकार से कार्यवाही करेगा।<br>-वन अधिनियम में अलग से कार्यवाही करना है। |

| भूमि एवं मालिकाना अधिकार | | भू-राजस्व अधिनियम | काश्तकारी अधिनियम |
|---|---|---|---|
| 1) | समस्त सड़कें और समस्त भूमियां, जो दूसरों की सम्पत्ति नहीं हैं, राज्य की होंगी | धारा 88 | - |
| 2) | विशेष प्रयोजनों के लिए भूमि पृथक रखी जा सकती है - चारागाह, वन, आबादी | धारा 92 | - |
| 3) | मालिकाना हक जाहिर करने/राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि ठीक कराने हेतु कार्य<br>भूमियां जिनमें खातीदारी अधिकार नहीं होंगे-जैसे गोचर<br>किसी सरकारी वन के सीमा के भीतर स्थित भूमि-धारा 16<br>घोषणात्मक दावे (अमलदरामद के लिए)-धारा 188 | | |
| 4) | **वृक्ष संबंधी प्रावधान** | | |
| | (अ) आसामी का वृक्ष लगाने का अधिकार | | धारा 79 |
| | (ब) सड़क (लोक मार्ग) के किनारे वृक्ष - सरकारी खर्चे से लगे वृक्ष सरकार के<br>-निजी जोत के पास का काश्तकार खुद वृक्ष लगा सकता है एवं ये उसकी सम्पत्ति होगी | धारा 94 (क) | धारा 79(क)<br>(संशोधन 1986) |
| | (स) वृक्षों/वन उपज को नहीं हटाया जा सकता है- बिना विधि पूर्वक स्वीकृति के | धारा 94 | धारा 83 |
| | (द) वृक्ष हटाने की रीति/नियंत्रण/प्रबन्धन | धारा 94 | धारा 84 |
| | (य) अवैध रीति से वृक्ष हटाये जाने पर शास्तियां | धारा 94 | धारा 86 |
| **भूमि का अधिभोग** | | | |
| 5) | कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं | धारा 90 (क) | - |
| 6) | भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग हटाने की प्रक्रिया एवं प्रावधान | धारा 91 | - |
| 7) | प्रत्यायोजन - किन्हीं धाराओं की शक्तियों को कम लेने हेतु अधिकृत करना। | धारा 260 | - |

### राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

| | |
|---|---|
| धारा 16 | भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार नहीं होंगे<br>(1) गोचर भूमि (2) किसी सरकारी वन के सीमा के भीतर स्थित भूमि। |
| धारा 79 | आसामी का वृक्ष लगाने का अधिकार |
| धारा 79 (क) | लोक मार्गों के साथ राजकीय भूमि पर वृक्ष लगाने का अधिकार - अपनी जोत से लगते हुए मार्ग - राजकीय भूमि पर वृक्ष लगा सकता है और ऐसे वृक्ष अभिधारी की सम्पत्ति होंगे (संशोधन 1986)। एल.आर.ए. धारा 94(क) से तुलना करें। |
| धारा 83 | वृक्षों को उपबन्धित रीति के सिवाय अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। |
| धारा 84 | वृक्ष कब और किसके द्वारा हटाये जा सकेंगे :-<br>-तहसीलदार की पूर्व अनुमति - गीले वृक्ष में। |

| | |
|---|---|
| | -वृक्ष काटने की स्वीकृति राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 24 ड.ड., से 24 छ में प्रावधान है।<br>-15 वृक्ष तक तहसीलदार<br>-15 से 50 वृक्ष तक एस.डी.ओ.<br>-50 वृक्ष से अधिक जिला कलेक्टर अनुज्ञा पत्र जारी करता है। आवेदन एस.डी.ओ. को करना है।<br>सात प्रजातियों को काटने की छूट एवं परिवहन की छूट प्रदान की गई है। |
| धारा 86 | अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां<br>-ए.सी.एम. द्वारा 100 रुपये प्रति पेड़ (प्रथम बार)<br>जुर्माना दुगना होगा। द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती उल्लंघन में<br>सरकारी भूमि पर वृक्ष काटने पर तहसीलदार निपटारा नहीं करेगा परन्तु ए.सी.एम. करेगा |
| धारा 88 | घोषणात्मक दावे - राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठि सही करने के लिए धारा 88 में ए.सी.एम. कोर्ट में केस दायर करें। |

## वन सुरक्षा (खनन)

**राजस्थान सरकार, वन विभाग का परिपत्र क्रमांकः प01(9)वन/96 जयपुर, दिनांक 28 फरवरी, 2000**

अधिकार एवं रियायतधारकों द्वारा घरेलू उपयोग हेतु चेजा पत्थर वन क्षेत्र से लाने का प्रकरण राज्य सरकार में लम्बे समय से विचाराधीन था। इस विषय में सम्बन्धित नियम, अधिनियमों का अध्ययन करने के पश्चात् निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. केवल अधिकार धारक (जिनके अधिकार सम्बन्धित वन क्षेत्र के लिये अनुज्ञेय/स्वीकार किये गये हैं) ही वन क्षेत्र से चेजा पत्थर एकत्रित कर सकेंगे।
2. ग्रामीण केवल घरेलू उपयोग के लिये ही पत्थर ले जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग हेतु पत्थर ले जाने पर रोक होगी।
3. पत्थर ले जाने सम्बन्धित अधिकारों, रियायतों एवं विशेष अधिकार के तहत अधिकार धारक को वन भूमि में पेड़ काटने या भूमि खुदाई की अनुमति नहीं होगी।
4. पत्थर केवल हाथों से (मेनुअली) इकट्ठे किये जा सकेंगे। मशीनों द्वारा पत्थर इकट्ठे किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. उक्त प्रकार से एकत्रित पत्थरों का परिवहन केवल स्थानीय वाहनों यथा बैलगाड़ी,ऊँटगाड़ी आदि द्वारा ही किया जा सकेगा। ट्रक, ट्रैक्टर द्वारा पत्थरों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।
6. इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी, नाकेदार/वनपाल अधिकार धारक के नाम नियमानुसार एक अनुमति पत्र जारी करेगा जिसमें हटाये जाने वाले पत्थरों की मात्रा, स्थान का नाम जहाँ से पत्थर हटाया जायेगा व जहाँ उक्त पत्थर उपयोग में लाया जायेगा, का उल्लेख होगा। अनुमति पत्र निःशुल्क जारी किया जायेगा।

   पत्थरों के रात्रि परिवहन (सूर्यास्त से सूर्योदय तक) की अनुमति नहीं होगी।

हस्ताक्षर/-
(एस.अहमद)
शासन सचिव, वन

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(6)82/वसु/प्रमुवसं/6565- 6614 दिनांक 10.8.2001, निमित्त, समस्त वनाधिकारीगण**

विभाग के यह ध्यान में आया है कि महत्वपूर्ण खनिज वन सीमा के निकट क्षेत्रों अथवा वन क्षेत्रों में पाये जाने के कारण वन क्षेत्रों में अवैध खनन प्रवृत्तियाँ दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। वन क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए समय-समय पर इस कार्यालय से दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते रहे हैं। आशा है कि इनका आप द्वारा गंभीरता से पालन किया जा रहा होगा। अवैध खनन के संबंध में विभाग को बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए विगत वर्ष इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ16(6)82/ वसु/प्रमुवसं/2488-2638 दिनांक 20.5.2000 से आपके अधीनस्थ वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने के संबंध में अपने अधीनस्थ क्षेत्र का समय-समय पर निरीक्षण करके अवैध खनन नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे तथा निरीक्षण के दौरान अवैध खनन में लिप्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था। आशा है कि इस संबंध में आप तत्परता से कार्यवाही कर रहे होंगे। अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में ही इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ16( )82/वसु/प्रमुवसं/ 4356-4504 दिनांक 16.6.2001 से भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा टी.एन. गोदावरमन बनाम भारत संघ एवं अन्य की याचिका संख्या 202/95 के परिप्रेक्ष्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार वन क्षेत्र में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी गतिविधियाँ न होने देने बाबत् भी विस्तृत रूप से दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए थे। अब आपके अधीनस्थ वन क्षेत्रों में किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होने देने बाबत् तत्परता से कार्यवाही करें और वस्तुस्थिति से आप समय-समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराते रहें।

समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, अपने नियंत्रक वन संरक्षक को इस आशय का मासिक प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके अधीन वन क्षेत्र में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है एवं समस्त वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक की मार्फत इस आशय का प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। कृपया इसे अति आवश्यक समझें तथा इस पर तत्परता से कार्यवाही की जावे।

हस्ताक्षर/-<br>
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,<br>
राजस्थान, जयपुर।

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(एन.ओ.सी.)98/वसु/प्रमुवसं/ 7200 दिनांक 13.9.2001**

खनिज विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं जिनके द्वारा यह निर्देशित किया जाता रहा है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र 30 दिवस की अवधि में जारी कर दिये जायें। निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं अथवा नहीं इसकी मण्डल वन अधिकारी के स्तर पर तथा वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर समीक्षा की जाये। मण्डल वन अधिकारी स्तर पर प्रति 15 दिन में एक बार, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय स्तर पर माह में एक बार समीक्षा की जाये। जो प्रस्ताव अस्वीकृत किये जायें उनमें स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये और उनकी भी टेस्ट चैकिंग का प्रावधान रखा जाये। समय-समय पर संबंधित वन संरक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा फील्ड के निरीक्षण के दौरान अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ निरस्त किये गये प्रकरणों की टेस्ट चैकिंग की जाये। वन संरक्षक प्रति माह अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सम 6632-50 दिनांक 14.8.2001 द्वारा प्रेषित प्रपत्र में इस कार्यालय को माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे। अभाव अभियोगों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 18(8)प्रसु/वन-1/94 दिनांक 2 जून, 1994 से जारी किये गये निर्देशों के क्रम में सोमवार की तिथि जनता की विभिन्न समस्याओं को सुनने के लिए जिला मुख्यालयों पर उपस्थित रहने हेतु अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ6(30)92/कार्मिक/प्रमुवसं/ 19546-666 दिनांक 29.6.94 से निर्देश जारी किये गये थे। उक्त

निर्देशों की पालना कृपया सुनिश्चित करें।

जी.टी. शीट पर विभाग द्वारा वन सीमा दर्शाते हुए इनकी प्रतियाँ जिले में खनिज विभाग को उपलब्ध करवाने बाबत् इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे, जिसके क्रम में कार्यवाही आप द्वारा कर दी गई होगी। यदि किन्हीं कार्यालयों द्वारा उक्त सूचना खनिज विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई है तो अब उपलब्ध करवाकर उसकी सूचना संबंधित वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाये। मण्डल वन अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें वन क्षेत्र का ग्राम वाइज/खसरा वाइज रिकॉर्ड हर दो माह में अपडेट किया जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(6)82/वसु/प्रमुवसं/4954- 5093 दिनांक 30.4.03**

वन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी किए जाते रहे हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ16(6)82/वसु/प्रमुवसं/6565-6614 दिनांक 10.8.01 से भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दिनांक 22.4.2003 को माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जावे। संबंधित वन मण्डल अधिकारी समय-समय पर अपने अधीनस्थ वन क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त (पेट्रोलिंग) करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा जो क्षेत्र खनन हेतु संवेदनशील हैं, ऐसे वन क्षेत्रों की सीमा पर बाउन्ड्री पिलर्स लगाने का कार्य प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करेंगे। वन सीमा के अंदर केन्द्र सरकार से स्वीकृत जो माइनिंग लीज हैं, उनके कोनों पर सीमेन्ट कंकरीट के पक्के पिलर्स लगाना भी सुनिश्चित करें ताकि स्वीकृत माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन नहीं होने पावे।

अतः संबंधित उप वन संरक्षक एवं अन्य वन अधिकारी उपरोक्तानुसार कृपया यह सुनिश्चित करें कि वन क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं होने दिया जावे। उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना में अगर कहीं अवैध खनन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना के भी जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

**Copy of the letter F.No.11-55/2002-FC dated 22nd May, 2003 from Shri G.C. Basumatary, Director (FC), Ministry of Environment & Forests, Government of India, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 to the Secretary (Forests), State Government of Rajasthan, Jaipur and copy to Nodal Officer, O/O Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur etc. Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F16(Circular)2000/FP/PCCF/6859-6998 dated 23 June, 2003**

**Sub.: Request for consideration of period of closure of mining due to Supreme Court's order dated 12.12.1996 as dies non and for adding the same to diversion period as extension.**

Sir,

With reference to subject cited above I am directed to say that Ministry has been receiving representations from mining leaseholders of Rajasthan for extension of lease by a period equal to the duration of closure after Supreme Court's order dated 12.12.96. Ministry has examined these representations and observed that the mines which were closed pursuance of Supreme Court's order dated 12.12.96 in W.P. (Civil) 202/95 were operating illegally as prior approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 was not obtained.

After detailed examination, Ministry has decided that period of closure of mines due to Supreme Court's order dated 12.12.96 should not be treated as dies non and added to lease period. To carry out further mining leaseholders should submit renewal proposal for prior approval of Central Government in all such cases where lease period granted under Forest (Conservation) Act, 1980 has expired.

*(**भावार्थ** : जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है वे खानधारक अपनी लीज नवीनीकरण के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजें)*

---

**Copy of letter No. F.No.11-9/98-FC dated 20-24th November, 2003 from Shri Anurag Bajpai, Asstt. Inspector General of Forests, Government of India, Ministry of Environment and Forests, F.C. Division, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 to the Secretary (Forests), all States/ UTs and copy to all PCCF all States etc. Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F16(S.C.)96/PIII/PCCF/FP/103-252 dated 2.1.2004**

**Sub.: Mining leases in National Parks / Sanctuaries etc.**

Sir,

In continuation of this Ministry's letter of even number dated 4.5.2001 regarding the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 14.2.2000 in writ Petition (C) No. 202 of 1995 and dated 13.11.2000 in writ Petition (C) No. 337 of 1995 in respect of National Parks / Sanctuaries, I am directed to request you for strict compliance of the orders of the Supreme Court. Further, in all those cases also, where forestry clearances have been granted for diversion of forest land for mining leases before the orders of the Supreme Court or before the notification for

setting up of National Park / Sanctuary in your State / UT, it is requested to ensure the suspension of all the mining activities till further orders.

*(**भावार्थ** : सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ अगले आदेशों तक निलम्बित रखी जावें।)*

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(एनओसी)98/वसु/प्रमुवसं/ 2921 दिनांक 20.3.2004**

इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ16(परिपत्र)98/वसु/प्रमुवसं/548-628 दिनांक 20.1.2001, 7200-7350 दिनांक 13.9.2001, एफ16(एनओसी)98/वसु/प्रमुवसं/658-808 दिनांक 19.1.2002 समय-समय पर जारी कर आपको यह निर्देशित किया जाता रहा है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर 30 दिवस की अवधि में जारी किये जावें। इस संबंध में उक्त परिपत्र दिनांक 21.1.2001 से इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये पूर्व परिपत्रों की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर यह निर्देशित किया गया था कि अपने अधीनस्थ वन मण्डलों में खनन हेतु प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का निर्धारित अवधि (30 दिवस) में निस्तारण के अभाव में विभिन्न न्यायालय स्तर पर स्थगन आदेश अथवा विपरीत निर्णय हो जाने पर वनक्षेत्र में खनन प्रभावी रहने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा।

प्रमुख शासन सचिव (वन) की अध्यक्षता में दिनांक 8.3.2004 को आयोजित हुई बैठक के क्रम में इस परिपत्र के माध्यम से समस्त वनाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनापत्ति प्रमाण पत्रों के निश्चित समयावधि में निस्तारण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेंः-

1. खान विभाग से प्राप्त होने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रकरणों में संबंधित उप वन संरक्षक समस्त आक्षेपों/कमियों को एक साथ लगा कर 15 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से खान विभाग को भेजेंगे।
2. यदि अपरिहार्य कारणों से 15 दिवस की अवधि तक भी कमियों को सूचित नहीं किया जाता है तो उप वन संरक्षक वस्तुस्थिति से वन संरक्षक को अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी 15 दिवस में समस्त आक्षेपों/कमियों को एक साथ लगाकर खान विभाग को भेजा जा सके।
3. खान विभाग द्वारा आक्षेपों की पूर्ति किये जाने के उपरान्त उप वन संरक्षक को प्राप्त होने वाले प्रकरणों में उप वन संरक्षक सामान्यतः 30 दिवस में नियमानुसार आवश्यक जांच आदि कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
4. यदि अपरिहार्य कारणों से उप वन संरक्षक 30 दिवस में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में समर्थ नहीं हैं तो वन संरक्षक को शीघ्र ही कारणों से अवगत करायेंगे। वन संरक्षक कारणों का शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. तत्पश्चात् उप वन संरक्षक आगामी 15 दिवस में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
6. वन संरक्षक द्वारा माह में एक बार उन प्रकरणों के संबंध में एक रिव्यू मीटिंग रखी जावेगी। जिन प्रकरणों में 60 दिवस से अधिक हो जाने पर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं, रिव्यू मीटिंग में यूजर एजेन्सी/पार्टी को भी बुलवायेंगे तथा मौके पर ही समस्या का निराकरण कर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

**F.No.7-19/2004-FC Government of India, Ministry of Environment of Forests (FC Division) Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 dated 22/23 September, 2005 Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F.16(Circular)05-FP/PCCF/ 9971-10126 dated 21 October, 2005.**

To,

1. The Principal Secretary (Forests),
   All States / UTs.
2. All Principal Chief Conservator of Forests,
   All States / UTs.

**Sub.: Supreme Court order dated 16.9.2005 in IA No. 1000 in Writ Petition (C) No. 202 of 1995 Jamwa Ramgarh Sanctuary matter.**

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of the above mentioned order of the Supreme Court which reads as follows:-

"………….. we again reiterate that without compliance of the environmental laws,in particular the permission under Forest (Conservation) Act 1980, no Temporary Working Permission or Temporary Permit or any other permission by whatever name called shall be granted for mining activities in the aforesaid areas (National Parks, Sanctuaries and forest area). We further direct that no mining activity would continue under any Temporary Working Permit or Permission which may have been granted ……"

In compliance with the aforesaid order, the Central Government hereby, directs you to stop all mining operations in forest areas which are running on the strength of Temporary Working Permission (TWP) granted by this Ministry, with immediate effect till further order. Only those mines shall be allowed to operate who have got clearances under Forest (Conservation) Act, 1980, and the Environment (Protection) Act, 1986 and have complied with the conditions stipulated by the Central Government. Further, in continuation of this Ministry's letter No. 11-9/98-FC dated 4.5.2001 and 24.11.2003 and aforesaid order of the Apex Court, it is reiterated that all mining operations in National Parks and Sanctuaries shall continue to remain suspended.

(ANURAG BAJPAI)
Asstt. Inspector General of Forests

*(**भावार्थ** : अस्थाई परमिट वाली खानों में खनन गतिविधियाँ तुरन्त प्रभाव से रोक दी जावें। केवल वे खाने, जिन्होंने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 'क्लीयरेन्स' सर्टिफिकेट ले रखा है, चालू रहेंगी। राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में समस्त खनन गतिविधियाँ निलम्बित रहेंगी।)*

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ16(एनओसी सर्कुलर)06/वसु/ प्रमुवसं/10268 दिनांक 16.10.2008**

खान विभाग द्वारा खनन प्रयोजनार्थ वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया में एकरूपता के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैंः-

1. खान विभाग से वन क्षेत्र/गैर वन क्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र हेतु जो प्रस्ताव वन विभाग को भेजे जावें उनके साथ निम्न सूचनाएं संलग्न होनी चाहिए :-

   (i) प्रस्तावित खनन क्षेत्र सड़क/परिवहन मार्ग आदि को जी.टी. शीट की छायाप्रति पर अंकित कर स्पष्ट दर्शाते हुए डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट संलग्न करना जिसमें यथासम्भव वन सीमा से दूरी अंकित की जावे।

   (ii) प्रस्तावित खनन क्षेत्र का खसरा मैप जिसमें खनन लीज की सीमा महत्वपूर्ण दो फिक्स्ड पॉइंट से दर्शायी गई हो। यदि निकटतम वन सीमा की दूरी 500 मीटर से कम है तो खसरा मैप पर वन सीमा भी दर्शायी जावे।

   (iii) प्रस्तावित खनन क्षेत्र की जमाबन्दी

   (iv) प्रस्तावित खनन क्षेत्र का मौके पर पिलर्स की सीमांकन रिपोर्ट।

2. वन विभाग से संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक के द्वारा संबंधित मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक के नाम का 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) शुल्क के रूप में डी.डी. खनिज अभियन्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

3. खनिज अभियंता / सहायक खनिज अभियंता उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर मय डी.डी. संबंधित मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करते हुए पृष्ठांकन संबंधित सूचना संबंधित मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक कार्यालय को भिजवायेंगे। मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक जांच के बाद यदि प्रस्ताव पूर्ण पाये जावें तो प्रस्ताव प्राप्ति के अधिकतम 60 दिवस के अंदर आवेदित भूमि के बारे में स्पष्ट प्रमाण पत्र (कि भूमि वनक्षेत्र है अथवा गैर वनक्षेत्र) संबंधित खनिज अभियंता / सहायक खनिज अभियंता को प्रेषित करेंगे।

4. भूमि संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा निम्न प्रारूप में जारी किया जावेगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में जारी नहीं किया जावेगा।

<u>वनक्षेत्र/गैर-वनक्षेत्र संबंधी प्रमाण-पत्र</u>

खनिज अभियंता .............................. द्वारा खनन पट्टा संख्या ............................. निकट ग्राम .................................... खनिज .................................... हेतु आवेदक श्री ............................................................................................................ पिता श्री ......................................................................................... की आवेदित भूमि खसरा नम्बर ............................ में पड़ती है, जो कि गैर वनक्षेत्र/वनक्षेत्र है/वन विभाग द्वारा वर्ष में कराया गया वृक्षारोपण क्षेत्र है। गैर वनभूमि में स्थित आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन सीमा से दूरी लगभग ................... मीटर है।

दिनांक : *मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक (मय सील)*

उपरोक्त प्रमाण-पत्र खनन प्रयोजनार्थ आवेदित खननपट्टे में आने वाली भूमि के लिए मान्य होगा।

5. वन विभाग द्वारा जो नक्शे खान विभाग को वनभूमि मार्क कर तथा सत्यापित कर प्रेषित किये गये हैं, उन नक्शों को हर वर्ष 30 अप्रैल तक वन विभाग से अपडेट करवाया जावें।

6. वन सीमा से 100 मीटर तक की दूरी पर भूमि संबंधी प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रस्तावित खनन क्षेत्र का मौके पर पक्के पिलर से सीमांकन करने के उपरांत एवं वन, राजस्व एवं खान विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय उक्त क्षेत्र की फोटोग्राफी (जिसमें पिलर व संयुक्त निरीक्षण टीम भी दर्शाई हो) की जाकर उक्त को साक्ष्य के रूप में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ प्रस्तुत करने पर वांछित प्रमाण पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इसके साथ आवेदित क्षेत्र के मध्यबिन्दु का Longitude, Latitude & Altitude भी GPS द्वारा Record की जाकर बनवाया जावे। एनओसी देने से पूर्व मौका निरीक्षण अनिवार्य होगा।

   जहां तक हो सके खनिज विभाग, खनिज पट्टे एक क्लस्टर में ही स्वीकृत करें। खनिज पट्टे की भूमि को पक्की दीवार की चारदीवारी द्वारा वनभूमि से पृथक् कर दें, ताकि भविष्य में अतिक्रमण कर, अवैध खनन को रोका जा सके।

7. यदि प्रस्तावित खनन लीज का क्षेत्र वन सीमा से बाहर हो परन्तु इसमें खनन कार्य से वनभूमि की सुरक्षा, संरक्षण, जैव-विविधता एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की संभावना हो तो ऐसे प्रकरणों में मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा बिन्दु संख्या (4) में अंकित प्रारूप में ही वनक्षेत्र/गैर वनक्षेत्र संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा तथा इसकी प्रति संबंधित जिला कलेक्टर को उपरोक्त आशय की स्थिति का उल्लेख कर तत्समय ही प्रेषित की जावेगी। खनन लीज स्वीकृति की प्रक्रिया के प्रावधानान्तर्गत जिला कलेक्टर स्तर पर ऐसी लीज में खनन कार्य करने/न करने के संबंध में उचित निर्णय लिया जावेगा।

8. जब भी कोई भूमि वनभूमि के रूप में विज्ञप्ति (Notify) की जाती है तो संबंधित मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक उपरोक्त के संबंध में खनन विभाग को सूचित करेंगे ताकि वे अपने नक्शे को अपडेट कर सकें।

9. वन सीमा से 1000 मीटर की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्र में लीज आवंटन के प्रकरणों में प्रमाण-पत्र वन सीमा से प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा इससे अधिक दूरी के खनन लीज के प्रकरणों को वन विभाग द्वारा कराई गई जीटी शीट्स (जिस पर वनक्षेत्र को मार्क किया गया है) के आधार पर खनिज विभाग द्वारा निस्तारित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत खान विभाग द्वारा निस्तारित प्रकरणों की सूचना नक्शे एवं भूमि के विवरण सहित संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को प्रेषित की जावेगी। यदि उक्तानुसार निस्तारित प्रकरणों के संबंध में वन विभाग को कोई आपत्ति हो तो मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा 30 दिवस के अंदर खान विभाग को सूचित किया जावेगा।

10. इसके अतिरिक्त गैर वनभूमि पर वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण स्थलों के संबंध में प्रमाण-पत्र हेतु राज्य सरकार वन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(4)वन/96 पार्ट दिनांक 2.9.2006 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

11. खनिज नीति, 1994 के अनुसार आरक्षित तथा रक्षित वन क्षेत्रों की सीमाओं से 25 मीटर की परिधि (सुरक्षा पट्टी) में खनन लीज हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जावेंगे। राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए निर्धारित इको सेनसेटिव जोन में भी कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जावे।

12. खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जावेगा तथा अवैध खनन/ अनियमितताओं संबंधी प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

## वन सुरक्षा (अग्नि)

**Copy of letter No. 9-6/99 FPD dated the 22nd June, 2000 from Shri M.K. Sharma, Addl. Inspector General of Forests, Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 to the Secretary, Forest Department, Rajasthan, Jaipur and copy endorsed to all PCCFs etc. etc.**

**Subject:- Guidelines for prevention and control of forest fires.**

Sir,

Forest fires are a major cause of degradation of our forest resources. There are a number of tangible as well as intangible losses due to forest fires and they cause environmental threat to the affected area. Forest Survey of India data on forest fires attributes about 50% of the forest areas as fire prone. It is estimated that about 3.73 million ha. of forest area is annually affected by forest fires. Very heavy and frequent forest fire damages are noticed over 0.87%, 0.14% and 5.16% of forest areas. Government of India has taken the issue of forest fires very seriously and a National Master Plan has been prepared in this regard for taking preventive and control measures for the next 10 years. However, for effective control it is necessary for the state governments to take all the necessary measures to combat forest fires. State governments are requested to take action as suggested hereunder:

### (A) General Measures

(1) All the fire prone forest areas of the state should be clearly identified and a map of fire prone areas should be prepared. This may be done by 31st July, 2000 and intimated to this ministry. It may please be noted that grants to the states will be released based on the fire prone maps submitted by the states.

(2) Data base on forest fires should be compiled and analysis of statistics on fire damage should be done every year and reported to this ministry.

(3) Fire Danger Rating System & Forest Fire Forecasting System should be prepared with the help of 'National Centre for Medium Range Weather Forecasting' of Department of Science & Technology, Lodhi Road, New Delhi.

(4) The services of ex-servicemen could be utilised and they can be appointed as Fire Warden in Divisions/ Ranges on payment of honorarium.

(5) The item of forest protection should be treated as a plan item so that it get more attention and more allocation of budget.

(6) Forest Department field staff must make a realistic assessment of damages from forest fires and a professional approach should determine the assessment of damage. It is generally observed that field staff do not report the actual fire damage due to fear of action and this practice needs to be curbed.

## (B) Specific Measures

Following specific measures may be undertaken for prevention and control of forest fires :-

(1) All the preventive measures should be taken in advance before the fire season starts. Fire lines should be cleared in time. Fire watcher should be employed and other precautionary measures as per working plan should be taken.

(2) A senior Officer in PCCF Office may be appointed as nodal officer. During fire season he will keep up to date information on forest fires of the state and will liase with various agencies including Government of India regarding various issues on the subject.

(3) During the fire season, a crisis group of about five officers may also be constituted in the office of PCCF and territorial CCF/CFs to closely monitor the situation and coordinate various preventive measures and also arrange adequate enforcement in case of any eventuality. The crisis group should meet at least once in a month during fire season. Similarly, crisis group should also be constituted at the circle level. At Division level a group under the Collector's chairmanship with DFO as Secretary with prominent local, social and political leaders and other officers of different departments be constituted for effective coordination and control. This crisis group would mobilise all the Government and non Government officials and other material resources for prevention and control of forest firest.

(4) Communication network should also be set up for quick flow of information and movement of the men and material of fire site.

(5) The forest staff, available in other wings should be specifically placed under the disposal of territorial division during fire season.

(6) The concerned authorities of other departments may be apprised in advance and their cooperation may be sought in dealing with any eventuality.

(7) Special steps should be taken to prevent fires in timber depots. Fire extinguishers and water should be kept ready for use in case of any eventuality.

(8) JFM Committees & Forest Protection Committees should be actively involved in Prevention and control of forest fires. Other people living in and around the forest areas and getting benefits from the forests should also be actively involved.

(9) The communities and government staff should be regularly trained for prevention and control of forest fires.

(10) Efforts should be made to create public awareness against the ill effects of forest fires. A fire week could be celebrated to create mass awareness.

## (C) Legal Measures

Provisions of Indian Forest Act, 1927 regarding Forest fires i.e. Section 33 and 79 and IFA, 1927 should be strictly implemented. A specific circular may be issued by the State Governments regarding mobilisation of human and material resources like man power, vehicles etc. in case of forest fires. Other rules and regulations

of the state Government in this regard should also be strictly implemented. In order to make an impact at field level, the guidelines may be translated in local languages and circulated to the field staff.

*(**भावार्थ :-** इस पत्र में वनाग्नि से निपटने के सामान्य, विशिष्ट एवं विधिक उपाय सुझाए गए हैं। इनमें फायर वार्डन की नियुक्ति, वनाग्नि पर डाटाबेस व नक्शे तैयार करना तथा नुकसान का वास्तविक आकलन करने की क्षमता विकसित करना व अन्य उपाय सुझाए गए हैं।)*

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ14()99/वसु/प्रमुवसं/6592- 6741 दिनांक 30.9.2000**

जैसा आपको विदित है कि ग्रीष्मकाल में वनों में आग का प्रकोप बना रहता है तथा वनों में अग्नि की दुर्घटनायें होने की संभावना बनी रहती हैं। इस विषय में राज्यादेश संख्या 6(35)प्रसु/3/90 दिनांक 12.11.90 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। राज्य के वन क्षेत्रों में लगने वाली आग के कारणों तथा इन पर नियंत्रण करने के उपायों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत अग्निशमन कार्यक्रम अपनाये जाने हेतु इस कार्यक्रम के परिपत्र संख्या 6651 दिनांक 18.12.92 से विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये थे। इसके उपरान्त सभी मुख्य वन संरक्षकगण को अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 11924-29, 11916-21 दिनांक 6.4.94 एवं 12289 दिनांक 28.4.94 द्वारा अग्नि संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर तत्काल प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या 9-6/99 एफपीडी दिनांक 22 जून, 2000 (प्रति संलग्न) द्वारा स्थानीय जन सहयोग से वनों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

कृपया इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें ताकि वनों में अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें साथ ही यदि समस्त सावधानियों के बावजूद किसी स्थान पर अग्नि की घटना हो जावे तो उसकी सूचना तत्काल निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

---

**Copy of letter No. 3-1/97-FPD dated 30.4.2002 from Dr. V.K.Bahuguna, Inspector General of Forests, Ministry of Environment & Forests, Government of India, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 addressed to the Secretary (Forests) all States / UTs. Office of the Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur endorsement No. F14( )99/Fire/PCCF/6542-6671 dated 9.7.2002**

**Subject :- Fire prevention and control measures during the coming fire season.**

Sir,

The fire season in the country is now at the peak and it is necessary that adequate precautionary measures are in place for a sound preventive and control mechanism. This Ministry is seriously concerned with the repeated damages being caused to the country's biodiversity in the forest areas due to frequent forest fires caused mainly by human activities. It is estimated that around 3.7 million ha. of forests are annually affected by forest fires. Government of India has prepared a national master plan with a 10 years' perception of forest fire prevention and mobilisation of

resources. The plan scheme modern forest fire control methods implemented during the 9th Five Year Plan has been restructured with major modifications and outlay for the forest fires was stepped up substantially during the last two years of IX Plan and now during the X Plan. However, the progress of expenditure is very poor in the states leading to poor physical and financial achievement and tardy progress in fire prevention activities. It has been observed that the funds sanctioned by the Central Government are not related to the forest department by the State Government in time. For the X Plan, sufficient funds will be provided to the states for combating forest fires. Now, the ball is in the court of the State Governments. All our attempts should be made to utilize the funds released by the Central Government. We would like to invite the attention of the State Government to the National Forest Fire Guidelines issued by this Ministry vide letter No. 9-6/99-FPD dated 22nd June, 2000 (Copy enclosed for ready reference) and request for their implementation. In nutshell, we would like you to take immediate steps on the following points:

1. Timely release of funds to the forest department to enable proper utilization of funds & effective prevention and control of forest fires. Utilization Certificates for the last financial year may please be submitted by 30th April positively. This will enable us to relase funds to your state in the month of May, 2002.

2. Prepare forest fire plans in each division with comprehensive information on various aspects of fire prevention and control regimes.

3. The fire prone areas should be mapped and losses from fires calculated. The data base on forest fires is rather sketchy and does not serve the purpose as the information is neither properly compiled nor correctly reported and neither analyzed in a systematic manner. Due to this, this Ministry sometimes find itself in an awkward position while dealing with Parliament questions and discussion with Planning Commission etc. Therefore, clearcut instructions may be issued to the field functionaries especially at the beat and range levels for giving correct information on the incidences of forest fires and the biotic pressure.

4. The Forest Survey of India (FSI) has been sanctioned special funds under the central sector component of the plan scheme forest fire control and management to evolve early warning systems for each state and help the states in evolving fire danger rating systems. Such danger rating systems should be evolved for each beat and should form part of the divisional fire management plan. For this purpose, a core group may please be constituted in the state forest department which will remain in close touch with the FSI, ICFRE institutes and the local agromat laboratories of the department of Meterology.

5. The crisis management group at the state, circle and district level should be activated as requested in this Ministry's guidelines and during the months from March to June, monthly meetings should be held to constantly review the situation. The district level groups should generate awareness through mass rallies, debate, painting competitions and celebration of forest fire prevention week should be compulsorily celebrated at block, range, beat and even village level with the active participation of local panchayats and JFM committees. It would be appropriate if this week is observed during 14th to 21st March every year.

6. One of the important aspects of fire prevention strategy should be to involve the Joint Forest Management (JFM) Committees. The experience of the states like Haryana, Tamil Nadu and Tripura has been extremely helpful in preventing forest fires through the help of JFM Committees. We have made sufficient provisions in the plan scheme for release of funds to the JFM Committees for fire prevention and control. For this purpose,

Memorandum of Understanding need to be signed between the JFM committees and the forest department under which during the initial phase 25% of the funds earmarked for the communities should be released at the time of signing the Memorandum of Understanding. Another 25% should be released during the middle of the fire season and the balance amount should be paid at the end of the fire season in June on satisfactory performance.

7. Apart from the JFM Committees, the service of the local clubs, social groups and voluntary associations, ex-servicemen etc. should be made use of. The field officers especially the district level crisis management groups need to enforce legal provisions under Sections 33 and 79 of the Indian Forest Act for mobilisation of human and other resources. Special provisions should be made for keeping mobile fire prevention squads with adequate equipment ready for action.

Other professional measures as per the provisions of the working plan also need to be put in the place.

*(**भावार्थ** :- पत्र में अग्नि नियंत्रण के प्रशासकीय प्रबन्धकीय उपाय सुझाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर अग्नि नियंत्रण के लिए साझा वन प्रबन्ध समितियों, अन्य स्थानीय क्लब, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों तथा पूर्व सैनिकों की मदद लेने का परामर्श दिया गया है।)*

## वन सुरक्षा (आरा मशीन)

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ36(7)2004-05/पार्ट-III/5480 दिनांक 9.6.2005**

समस्त वनाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लेख है कि अवैध आरा मशीनों के संचालन पर रोक लगाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा समय-समय जारी निर्देशों के उपरांत भी समाचार पत्रों के माध्यम से अथवा जन प्रतिनिधियों से राज्य में कहीं-कहीं पर अवैध आरा मशीनों का संचालन होने की सूचना प्राप्त हो रही है।

जैसा कि आपको विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटिशन संख्या 202/1995 श्री टी.एन.गोदावरमन बनाम भारत संघ व अन्य में अपने आदेश दिनांक 30.10.2002 से राज्यों को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के चल रही आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बन्द कराने के आदेश दिये हैं तथा अपने आदेशों में भविष्य में किसी नई आरा मशीन को स्थापित करने एवं उसके अनुज्ञा पत्र देने से पूर्व सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की सहमति ली जाने के संबंध में भी निर्देश दिये हैं।

यथा, आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना कराते हुए आपके क्षेत्राधीन समस्त अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बन्द कराने की कार्यवाही की जावे। यदि किसी क्षेत्र में अवैध आरा मशीन का संचालन होता पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर क्रमांकः एफ() वसु/प्रमुवसं/3908-4058 दिनांक 20.5.2006**

समस्त वनाधिकारीगण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 202/95 टी.एन. गोदावरमन बनाम भारत सरकार व अन्य में अपने निर्णय दि. 30.10.02 से निर्देश दिए हैं कि राज्य में बिना लाइसेंस के चल रही अवैध आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जावे। उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभाग द्वारा अभियान चलाकर अवैध आरा मशीनों को बन्द कराने हेतु कार्यवाही होती रही, कालान्तर में किसी कार्यवाही के अभाव में पुन: आरा मशीनों के चलने की पूर्ण सम्भावना रहती है।

अत: ऐसी स्थिति में समस्त वनाधिकारियों को पुन: सख्त निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य में सघन अभियान चलाया जाकर राज्य में कहीं भी बिना लाइसेन्सशुदा अवैध आरा मशीन चलती हुई पायी जावे, तो उसके विरुद्ध तुरन्त नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावे एवं आवश्यक होने पर मौके पर ठोस कार्यवाही कर अवैध आरा मशीनों का विद्युत विच्छेद करवायें। इसके उपरान्त भी यदि कहीं पर अवैध आरा मशीनें चलती हुई पाई जाती हैं, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उनके उप वन संरक्षक तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

कृपया उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जाकर प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे।

हस्ताक्षर/-<br>
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,<br>
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ36(7)04-05/वसु/ प्रमुवसं/4671-4820 दिनांक 6.6.2006**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 202/95 टी.एन.गोदावरमन बनाम भारत सरकार व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 30.10.2002 से निर्देश दिये हैं कि राज्य में बिना लाइसेंस के चल रही अवैध आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया जावे। उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभाग द्वारा अभियान चलाकर अवैध आरा मशीनों को बन्द कराने हेतु कार्यवाही होती रही है, परन्तु कालान्तर में किसी कार्यवाही के अभाव में पुनः अवैध आरा मशीनों के चलने की पूर्ण सम्भावना रहती है। अतः इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ( )वसु/प्रमुवसं/3908-4058 दिनांक 20.5.2006 द्वारा पुनः समस्त वनाधिकारियों को राज्य में सघन अभियान चलाया जाकर बिना लाइसेंसशुदा अवैध आरा मशीनें चलती हुई पाई जावें, तो उनके विरुद्ध तुरन्त नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त कार्यवाही को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर से भी उप वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन), जयपुर के निर्देशन में उनके अधीनस्थ स्टाफ की टीम का गठन किया जाता है, जो राज्य में चल रही बिना लाइसेंसशुदा अवैध आरा मशीनों का आकस्मिक निरीक्षण कर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उक्त कार्यवाही के दौरान अवैध वन उपज जब्त करना, आरा मशीन सील करना, एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आदि कार्यवाही करनी पड़ सकती है जिसके लिए उस क्षेत्र के प्रादेशिक उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी ही सक्षम होंगे। अतः आकस्मिक चैकिंग के दौरान इन्हें भी अपने साथ रखेंगे, ताकि उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही किया जाना

सम्भव हो सके।

उक्त कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर समय-समय पर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

### कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( )वसु/प्रमुवसं/4855 दिनांक 8.6.2006

इस कार्यालय को राज्य में कुछ स्थानों से बिना लाइसेंस की आरा मशीनों के अवैध रूप से संचालन की सूचना प्राप्त हुई है। इस हेतु इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ( )वसु/प्रमुवसं/3908-4058 दिनांक 20.5.2006 द्वारा समस्त वनाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं।

अब आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि अपने कार्यक्षेत्र में सघन अभियान चलाकर बिना लाइसेंसशुदा अवैध आरा मशीनों के संचालन पर कठोरता से रोक लगाई जावे। इस हेतु ऐसी आरा मशीनों को तुरन्त सीज किया जावे तथा इनका संबंधित विभाग से सम्पर्क कर विद्युत विच्छेद कराया जावे। अवैध आरा मशीनों के संचालन पर नियंत्रण हेतु गश्तीदल एवं स्थानीय प्रशासन का यथोचित सहयोग लिया जावे।

दिनांक 26.6.2006 तक आप इस आशय का शपथ-पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे कि आपके कार्यक्षेत्र में कोई भी बिना लाइसेंसशुदा अवैध आरा मशीन नहीं चल रही है।

इसे अत्यावश्यक समझा जावे।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

### CENTRAL EMPOWERED COMMITTEE File No. 2-7/CEC/SC/2006-Pt.IV Dated 18th July, 2006.

To,

The Principal Chief Conservator of Forests,

Rajasthan Forest Department, Jaipur

**Sub.: Clarification regarding permission for shifting of saw mills from one place to another within the State and cases involving the transfer of license from one person to another.**

Sir,

Please refer to your letter No. 5534 dated 28th June 2006 on the above subject. In response of relocation of saw mills/ transfer of the saw mill license following decision have been taken by the CEC :

1. Relocation on saw mills from one place to another place by the same owner may be permitted in individual cases by the Rajasthan Forest Department without seeking the specific approval of the Central Empowered Committee (CEC) subject to the following:

   i) appropriate guidelines shall be issued by the PCCF, Rajasthan Forest Department for the relocation of saw mills with adequate safeguards under intimation to the CEC within a period of seven days from the date of issue of this letter;

   ii) no relocation shall be permitted to an area otherwise prohibited under the relevant rules / guidelines;

   iii) neither the capacity nor the number or type of machines shall be allowed to be increased at the new site; and

   iv) the saw mill will start functioning at the new site only after obtaining the requisite permission from the competent authority as provided in the above guidelines.

2. Transfer of saw mill license from one person to another through the sale of saw mill, inheritance, division of property, family arrangement, dissolution of partnership, etc. may be permitted in specific cases without obtaining the CEC's approval subject to the following conditions:-

   i) appropriate guidelines in this regard shall be issued by the PCCF, Rajasthan under intimation to the CEC within a period of seven days from the date of issue of this letter;

   ii) the number and / or capacity of machines in each of the different categories such as band saw, peeling machines, slicer machine, etc. shall neither be increased nor submitted. For example an existing band saw cannot be replaced with a peeling machine or slicer;

   iii) no splitting of licence shall be permitted.

   iv) the transfer shall obtain the licence from the Forest Department in lieu of the original license before he is allowed to operate the saw mill; and

   v) the transfer is otherwise not ineligible under the rules, guidelines, etc. for obtaining the licence.

Yours faithfully,
Signature/-
(M.K.Jiwrajka)
Member Secretary

*(**भावार्थ** : इस निर्देश में राज्य में व्यक्तिगत स्वामित्व वाली आरा मशीनों के राज्य के भीतर स्थान परिवर्तन व उनके मालिकाना हक के परिवर्तन की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। यह अनुमति वर्णित कतिपय शर्तों के अध्यधीन दी जावेगी।)*

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ( )वसु/प्रमुवसं/6674-6824 दिनांक 25.7.2006**

समस्त वनाधिकारीगण

**विषय : लाइसेंस प्राप्त वैध आरा मशीनों की राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आरा मशीन स्थान परिवर्तन के संबंध में दिशा-निर्देश।**

**सन्दर्भ : सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी का पत्रांक 2-7/सीईसी/एससी/2006-पार्ट IV दिनांक 18.7.2006**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक 5534 दिनांक 28.6.06 से सदस्य सचिव, सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी, नई दिल्ली से राजस्थान राज्य के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले में वैध आरा मशीन के स्थान परिवर्तन की अनुमति दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था। सदस्य सचिव, सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी ने उनके सन्दर्भित पत्र से इस संबंध में स्पष्ट किया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं आरा मशीन मालिक द्वारा आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन किये जाने पर वन विभाग के इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी की अनुमति प्राप्त किये बिना अनुमति प्रदान की जा सकती है। सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी ने यह भी सुझाव दिये हैं कि उक्त आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु पर्याप्त सावधानियाँ बरतते हुए समुचित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उक्त स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

अतः राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैध आरा मशीन स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. आरा मशीन मालिक द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण कारण बताते हुए आवेदन 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे :-

   (i) मूल आरा मशीन अनुज्ञा पत्र एवं इसकी दो प्रमाणित प्रतियां।

   (ii) जिस स्थान पर आरा मशीन स्थानान्तरित की जानी है उसके स्वामित्व, किरायानामा, लीजडीड अथवा उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पत्ति आदि के संबंध में वैध दस्तावेज।

   (iii) जिस स्थान पर आरा मशीन स्थानान्तरित की जानी है उस स्थान का साइट प्लान एवं आरा मशीन का लेआउट प्लान जिसमें आरा मशीन स्थापित करने का स्थान, लकड़ी स्टॉक का स्थान, अवशिष्ट पदार्थ रखने का स्थान आदि दर्शाया गया हो।

   (iv) आरा मशीन मालिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा पूर्व में स्वीकृत आरा मशीनों की संख्या, प्रकार एवं चिरान क्षमता में वृद्धि नहीं की जावेगी।

2. उक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा इसकी प्रतियां, जिस स्थान से आरा मशीन परिवर्तन किया जा रहा है एवं जिस स्थान पर नया स्थान परिवर्तन चाहा जा रहा है, से सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारियों को प्रेषित की जावेंगी। सम्बन्धित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारीगणों द्वारा उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचनाएं / टिप्पणियां प्रस्तुत की जायेंगी।

   (अ) अनुज्ञा अधिकारी (उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनायें / टिप्पणी जिसके क्षेत्राधिकार से आरा मशीन स्थानान्तरित की जानी है :-

      (i) आरा मशीन मालिक द्वारा आरा मशीन नियमों में विहित रिकॉर्ड / रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है या नहीं।

      (ii) यदि आरा मशीन मालिक द्वारा आरा मशीन नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसका विवरण।

(iii) आरा मशीन मालिक द्वारा किये गये अपराधों का संक्षिप्त विवरण।

(iv) वर्तमान आरा मशीनों में लगाये हुए आरा उपकरणों की संख्या, क्षमता एवं प्रकार का विवरण।

(v) आरा मशीन स्थान परिवर्तन के लिए उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी की अनुशंषा।

(ब) अनुज्ञा अधिकारी ( उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी ) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनायें / टिप्पणी जिसके अधिकार क्षेत्र में नवीन स्थान परिवर्तन किया जाना है :-

(i) आरा मशीन के नवीन स्थान/परिसर का सत्यापन।

(ii) नवीन स्थान पर आरा मशीन में आने वाली लकड़ी के स्रोत का विवरण।

(iii) नवीन स्थान पर आरा मशीन स्थापित किये जाने से वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचाने के संबंध में टिप्पणी।

(iv) आरा मशीन नवीन स्थान की वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य से दूरी का विवरण।

(v) आरा मशीन स्थान परिवर्तन ऐसे क्षेत्र में तो स्थित नहीं है जो कि अन्यथा सम्बन्धित नियमों/ निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित क्षेत्र हो।

(vi) आरा मशीन के नवीन स्थान परिवर्तन हेतु उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी की अनुशंषा।

(स) यदि आरा मशीन का स्थान परिवर्तन आरा मशीन के पूर्व स्थल हेतु अधिकृत अनुज्ञा अधिकारी (उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी) के अधिकार क्षेत्र में ही आता है तो बिन्दु संख्या 2 (अ) एवं (ब) से सम्बन्धित दोनों सूचनायें सम्बन्धित उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

3. उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी से सूचनायें / टिप्पणी प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में प्राप्त होने पर इनका परीक्षण किया जायेगा एवं स्थान परिवर्तन के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाकर सम्बन्धित उप वन संरक्षक को सूचित किया जायेगा।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक से स्थान परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धित उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी द्वारा नवीन स्थान के पते की प्रविष्ठि सम्बन्धित रिकॉर्ड में की जावेगी एवं परिवर्तित स्थान के पते का अंकन मूल अनुज्ञा पत्र पर भी किया जाकर प्रमाणीकरण किया जायेगा।

5. उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा आरा मशीन पूर्व स्थान से पूर्ण रूप से हटा लिया जाना संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया जावेगा।

6. नवीन स्थान के उप वन संरक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरा मशीन निर्धारित नवीन स्थान पर ही स्थापित की गई है एवं आरा मशीन की पूर्व संख्या, क्षमता एवं प्रकार में वृद्धि नहीं की गई है।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम)
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ36(8)04/वसु/प्रमुवसं/ 10092- 10241 दिनांक 13.11.2006**

छोटी आरा मशीनों (61 सेमी. तक की) को लाइसेंस दिलाये जाने के संबंध में हैण्डीक्राफ्ट सॉ मिल एसोसिएशन को राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइ किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.7.2006, 31.7.2006 एवं 3.11.2006 द्वारा कुल 11 हैण्डीक्राफ्ट एसोसिएशन को नोटिफाइ किया गया है व आगे भी अन्य एसोसिएशन को नोटिफाइ किया जा सकता है। यथा समस्त वनाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नोटिफाइड हैण्डीक्राफ्ट एसोसिएशन के संबंध में यह सुनिश्चित कर लें कि वे प्रतिबंधित लकड़ियों/राउण्ड टिम्बर आदि में डील न कर रही हों।

हस्ताक्षर/-
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
अधिनियम, राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ36(8)06/वसु/प्रमुवसं/401-550 दिनांक 15.1.2007**

**समस्त वनाधिकारीगण**

**विषय :- काष्ठीय हस्तशिल्प आरा मशीन के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में।**

महोदय,

Rajasthan Forest Produce (Establishment & Regulation of saw mills) (amendment) Rules 2005 के द्वारा Rajasthan Forest Produce (Establishment & Regulation of Saw Mills) Rules, 1983 में जोड़े गये नियम 7 ए के तहत गठित समिति द्वारा वर्तमान में राजस्थान राज्य के विभिन्न वन मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रकरणों पर विचार एवं अनुमोदन करने की कार्यवाही की जा रही है।

कुछ मण्डल वन अधिकारियों ने मौखिक रूप से एवं लिखित में भी निम्न प्रकार की शंकायें Handicraft Saw Mill के लाइसेन्स बाबत् प्रस्तुत की हैंः-

1. क्या Handicraft Saw Mill का लाइसेंस ऐसी यूनिट / इकाई के लिये जारी किया जाना चाहिये जहां एक से अधिक आरे (निर्धारित साइज वाले) लगे हुए हों अथवा लगाये जाने प्रस्तावित हों, और क्या ऐसे Handicraft Saw Mill को लगाये जाने की अनुशंषा उप वन संरक्षक भिजवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे मण्डल वन अधिकारियों का यह मानना है कि निर्धारित साइज के एक आरे हेतु ही Handicraft Saw Mill का लाइसेंस जारी होना चाहिए।
2. कुछ मण्डल वन अधिकारियों का यह मानना है कि लाइसेंस तो भले ही एक परिसर के लिए जारी किया जा सकता है जिसमें निर्धारित साइज अथवा क्षमता के एक से अधिक आरे लगे हो या लगाये जाने प्रस्तावित हों, परन्तु निर्धारित फीस प्रत्येक आरे के अनुसार होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में उनका यह मानना है कि उदाहरणार्थ यदि किसी परिसर में निर्धारित साइज / क्षमता वाले 3 आरे लगे हों या लगाने प्रस्तावित हों तो निर्धारित फीस की तिगुनी राशि ऐसी यूनिट से वसूल की जानी चाहिये न कि केवल निर्धारित फीस ही।
3. कुछ मण्डल वन अधिकारियों का यह मानना है कि Handicraft Saw Mill के लाइसेंस की अनुशंषा केवल ऐसी ही इकाइयों के लिए की जानी चाहिए जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हो अथवा जिसकी भूमि की क्लियरेन्स अन्य स्थानीय निकायों जैसे स्थानीय नगर निगम/

रीको/उद्योग विभाग इत्यादि से प्राप्त की गई हो, अथवा ऐसी कृषि भूमि पर स्थित हो जिसने उसका कनवर्जन औद्योगिक अथवा आरा मशीन के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हुआ हो। दूसरे शब्दों में मण्डल वन अधिकारियों का यह मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर Handicraft Saw Mill लाइसेंस जारी कर दिया जाता है जिसने उस भूमि को अन्य नियमों के तहत सम्बन्धित विभाग से क्लियर नहीं करवा रखा है तो Handicraft Saw Mill के बल पर वह विभिन्न विधिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है जिससे विभाग को भी अनावश्यक विवादों में उलझना पड़ सकता है।

उक्त बिन्दुओं के संबंध में संबंधित नियमों के अवलोकन से स्थिति निम्नानुसार रूप से प्रकट होती हैः

1. **बिन्दु संख्या - 1**

जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है Rajasthan Forest Produce (Establishment and Regulation of Saw Mill) Rules 1983 जरिए नोटिफिकेशन 16.7.1983 को जारी किया गया है। इन नियमों के नियम 2( ) में आरा मशीन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

2(aa) "Saw Mill" means a plants or implement, including circular, band and rand saws used for rip-sawing of timber, and seasoning, preservation, treatment and manufacturing plants, alongwith the premises and precincts thereof upon a distance of 100 m. around it.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2002 के अनुसरण में बिना लाइसेंस प्राप्त आरा मशीनों को बन्द करने की कार्यवाही राजस्थान राज्य में की गई थी, जिसके कारण हैण्डीक्राफ्ट के कार्य में लगे हुए व्यवसायियों को व्यवसाय करने की समस्या उत्पन्न हो गई। इस व्यवसाय की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए और यह मानते हुए कि इस व्यवसाय में गोल लकड़ी की सीधी आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी से अनुमति प्राप्त कर उक्त नियमों के कुछ संशोधन जरिये विज्ञप्ति दिनांक 4.2.2006 से किया गया और नियम 2 (j) और 2 (k) भी जोडे़ गये। नियम 2 (k) में Handicraft Saw Mill की निम्न परिभाषा दी गई है :-

'wood handicraft saw mill' means a saw mill engaged in sawing and reshaping of sawn timber for manufacturer of wood based handicraft items using vertical saw (without trolley) of size not exceeding 61cm and / or circular saw of diameter not exceeding 30.5 cm operated by a motor/engine with capacity not exceeding 5hp. alongwith the appurtenant plants, implements, precincts and premises, but will not include saw mills partly or wholly engaged in sawing or processing of green timber/round timber either for its own use or for sale or for any other purpose."

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि Handicraft Saw Mill में आरों की मात्र एक संख्या होने की भ्रांति का कोई आधार नहीं है, क्योंकि Handicraft Saw Mill में vertical saw ....... &/or circular saw..... के साथ-साथ अन्य प्लांट्स भी इंप्लीमेन्ट हो सकते हैं और ऐसे सभी यंत्रों सहित परिसर ही वुड Handicraft Saw Mill होगा न कि केवल एक आरा जैसा कि भ्रांति उठायी जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि Handicraft Saw Mill एक प्रकार की सॉ मिल ही है जिसमें विशिष्ट प्रकार / क्षमता के आरे ही लगे होने चाहिये और यदि इसे आरा मशीन की परिभाषा जो कि नियम 2 (a) में दर्शाया है, उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाये तो स्पष्ट है कि आरा मशीन के अनुसार Handicraft Saw Mill में भी निर्धारित प्रकार एवं क्षमता तक के कितने ही आरे हो सकते हैं बशर्ते की वो एक ही परिसर में स्थित हों। अतः एक परिसर में निर्धारित साइज/क्षमता के एक से अधिक आरे लगे होने या भविष्य में लगाये जाने की स्थिति में भी Handicraft Saw Mill का एक ही लाइसेंस जारी होना चाहिये।

**बिन्दु संख्या - 2**

जैसा कि नियम 6 में आरा मशीन के स्थापित करने के लिए निम्नानुसार रूप से फीस निर्धारित की गई है :-

6- The following fee are prescribed for the purposes of fee and security:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Application fee | - | Rs. 25/- (non refundable) |
| 2. | Licence fee | - | Rs. 250/- (non refundable) |
| 3. | Security deposit | - | Rs. 500/- |

उक्त शुल्क एक आरा मशीन हेतु निर्धारित की गई है, न कि प्रत्येक आरे के लिए। Handicraft Saw Mill के लाइसेंस देने की प्रक्रिया नियम 7A में निर्धारित की गई है, अतः जो फीस आरा मशीन के नियम 6 में निर्धारित है, वही फीस Handicraft Saw Mill के लिए भी देय है। इसलिए बिन्दु संख्या 1 में रखे विवेचन के लिए निर्धारित फीस ही उक्तानुसार रूप से देय है और इसका उसमें स्थापित या/भविष्य में स्थापित होने वाले आरों की संख्या से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। इसलिए विभिन्न वन अधिकारियों द्वारा उठाई गई भ्रांतियां निर्मूल प्रतीत होती हैं।

**बिन्दु संख्या - 3**

इस संबंध में Rajasthan Forest Produce (Establishment and Regulation Saw Mill) Rules 1983 के नियम 18 का प्रावधान निम्नानुसार है :-

18. Application of other Laws not Barred – The provision of these rules shall be in addition to and not in derogation of, any other Act for the time being in force.

उक्त नियम के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि वन विभाग के Handicraft Saw Mill लाइसेंस के लाइसेंस देने से लाइसेंसी अन्य नियम/अधिनियम कानूनों आदि की पालना से मुक्त नहीं हो जाता है। मण्डल वन अधिकारी या वन विभाग के अधिकारी राज्य में विभिन्न औद्योगिक नियम प्रक्रियाओं आदि के पारंगत/ विशेषज्ञ नहीं माने जा सकते हैं। आरा मशीन/ Handicraft Saw Mill का लाइसेंस Rajasthan Forest Produce (Establishment and Regulation Saw Mill) Rules 1983 के अनुसार जारी किये जाते हैं और यदि Handicraft Saw Mill की प्रक्रिया में मण्डल वन अधिकारी भूमि के स्वामित्व/उपयोगिता के विवाद में उलझते हैं तो Handicraft Saw Mill की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी हो सकती है और यदि वे इस संबंध में कोई निर्णय भी करते हैं तो उससे विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा, उनके संबंधित नियमों के विशेषज्ञ नहीं होने बाबत् मुद्दा उठाया जा सकता है और जिससे विभाग को अनावश्यक विवाद का सामना करना पड़ सकता है। वन अधिकारी तो केवल वन भूमि के विशेषज्ञ माने जा सकते हैं, अतः अन्य भूमि एवं उसकी उपयोगिता की जाँच उनके स्तर से की जानी संभव ही प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त नियम 18 के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार यदि लाइसेंस प्राप्तकर्ता ने किसी भी अन्य नियम प्रक्रिया और अधिनियम का उल्लंघन किया है तो उसके लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में मात्र Handicraft Saw Mill का लाइसेंस आड़े नहीं आ सकता है।

यथा उक्तानुसार स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,<br>
हस्ताक्षर/-<br>
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,<br>
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ36(7)03/वसु/प्रमुवसं/1309-43 दिनांक 24.2.2007**

**समस्त आरा मशीन लाइसेंसिंग अधिकारी,**

**विषय :- पूर्व में जारी आरा मशीन लाइसेंसों की वैधता बाबत्।**

**सन्दर्भ :- इस कार्यालय का सम संख्यक पत्र दिनांक 17.6.1985**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना एवं नियमन) नियम 1983 में वन विभाग, राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 4 फरवरी, 2006 के द्वारा उक्त नियमों के नियम 3 उप नियम (VI) (a) में संशोधन किया जाकर आरा मशीन के स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को अधिकृत किया गया है। अतः वर्तमान में आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर आरा मशीन स्थान परिवर्तन के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6674-6824 दिनांक 25.7.2006 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत कुछ आरा मशीनों के लाइसेंस ऐसे भी प्राप्त हो रहे हैं जिनमें लाइसेंस अधिकारियों द्वारा किसी अवधि विशेष हेतु ही लाइसेंस जारी किये गये थे जिनमें से भी कुछ लाइसेंसों का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया है एवं कुछ लाइसेंस बिना नवीनीकरण किये हुए हैं।

राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना एवं नियमन) नियम 1983 में विज्ञप्ति संख्या अ-10(17)राजस्व ग्रुप 8/82 दिनांक 17.5.85 द्वारा उक्त नियमों में कुछ संशोधन किये गये थे जिसकी प्रतियां समस्त वनाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.6.1985 द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी गयी थीं। विज्ञप्ति दिनांक 17.5.1985 में जो संशोधन किये गये उसके बिन्दु संख्या 7 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

In form 2, appended to the said rules condition No. (1), shall be substituted by the following:-

"1. This permit shall be valid with effect from the date of its issue."

उक्तानुसार स्थिति में यह विदित होता है कि पूर्व नियम 1983 में आरा मशीन लाइसेंस हेतु लाइसेंस के जारी होने और समाप्त होने की अवधि का जो प्रावधान था, वह 1985 के संशोधन में समाप्त करके लाइसेंस जिस दिनांक को जारी किया गया उस दिनांक में प्रभावी होने का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधन में लाइसेंस अवधि समाप्त होने अथवा पुनः नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान किया जाना विदित नहीं होता।

उपरोक्त जारी किये गये आरा मशीन नियमों एवं तदन्तर संशोधनों के सम्बन्ध में समय-समय पर वनाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पष्टीकरण भी चाहे गये जिनके क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6593-6744 दिनांक 15.10.1998 द्वारा समस्त वनाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार के संदेह के निराकरण हेतु इन दोनों विज्ञप्तियों का समावेश करने के उपरांत जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं, उन्हीं के अनुसार आरा मशीन से संबंधित कार्यवाही सम्पन्न करें।

उपरोक्त स्थिति के होते हुए भी कुछ वन मण्डलों में तो पुराने प्रपत्र (वर्ष 1983 के नियमों के अनुसार) में ही जारी किए जाते रहे एवं लाईसेंस नवीनीकरण किये जाने की प्रक्रिया अपनाई गयी तथा कुछ वन मण्डलों में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया परन्तु लाइसेंस समाप्ति की अवधि का अंकन किया गया जो कि सम्भवतः सम्बन्धित लाइसेंसिंग अधिकारियों के स्तर पर बिना किसी निहित उद्देश्य के हुई मानवीय त्रुटि मानी जा सकती है।

चूंकि वर्तमान में आरा मशीन लाइसेंस स्थान परिवर्तन के अनेक प्रकरण इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं जिनमें उपरोक्त पैरा में वर्णित प्रकार के लाइसेंस भी सम्मिलित हैं। अतः इनकी वैधता के संबंध में प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान वन उपज

(आरा मशीनों की स्थापना एवं नियमन) नियम 1983 के संलग्न फार्म-2 में वर्णित शर्त संख्या 1 को अधिसूचना दिनांक 17.5.1985 द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था-

''यह अनुज्ञापत्र इसके जारी होने की तारीख से विधिमान्य होगा'', अतः इससे स्पष्ट है कि दिनांक 17.5.1985 के पश्चात् पुराने प्रपत्र में जारी किया गया अनुज्ञापत्र भी इसके जारी होने की तारीख से विधिमान्य होगा, चाहे इनमें अनुज्ञा पत्र समाप्ति की तिथि अंकित की गई हो अथवा नहीं। अतः तदनुसार रूप से आवश्यक कार्यवाही की जावें।

यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि दिनांक 30.10.2002 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नया लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अतः कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में वन मण्डलों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई लाइसेंसशुदा आरा मशीनों की सूची में सम्मिलित आरा मशीन लाइसेंस ही वैध माने जावेंगे।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ( ) / / प्रमुवसं/2933 दिनांक 24.4.2007**

अवैध आरा मशीनों को बन्द करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाये जाते रहे हैं, परन्तु अक्सर यह देखने में आता है कि राज्य में अब भी अवैध आरा मशीनों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अवैध आरा मशीनों के संचालन से वन विभाग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। प्रादेशिक वन मण्डल के क्षेत्रीय वन अधिकारीगण के द्वारा उनके क्षेत्र में अवैध आरा मशीन संचालन नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसके आधार पर उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी उनके क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधि न चलने की पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। फिर भी जब अवैध कारोबार के बारे में जानकारी मिलती है तो इससे प्रतीत होता है कि अवैध आरा मशीनों पर प्रभावी अंकुश अभी तक नहीं लग पा रहा है। अवैध आरा मशीनें संचालित न होने के प्रमाण पत्र देने के बावजूद संबंधित वनाधिकारी के क्षेत्र में अवैध आरा मशीनों का संचालन पाया जाना स्वतः ही दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। अतः अवैध आरा मशीनों के संचालन एवं अवैध रूप से आम, खेजड़ी, पीपल आदि प्रतिबंधित पेड़ों का विदोहन एवं परिवहन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के उपरांत निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राज्य में लाइसेंसशुदा सभी आरा मशीन मालिकों को 15 दिवस के अन्दर पाबन्द कर आरा मशीन लाइसेंस नंबर, दिनांक एवं आरा मशीन परिसर में संचालित आरों की संख्या मय परिमाप बोर्ड पर दर्शाते हुए आरा मशीन स्थल पर लगाया जावे, जिससे वैध आरा मशीन के संबंध में सम्पूर्ण पारदर्शिता रहे।

2. प्रत्येक जिले में अवैध आरा मशीनों को नियमानुसार बन्द करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक, विद्युत प्रसारण निगम के अधिशाषी अभियंता एवं उद्योग विभाग के अधिकारी सदस्य एवं संबंधित वनाधिकारी / उप वन संरक्षक समिति कि सदस्य सचिव हैं। यह प्रतीत होता है कि जिला स्तरीय समिति की बैठक इस समय नियमित रूप से नहीं हो रही है। अवैध आरा मशीनों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद संबंधित अधिशाषी अभियंता के द्वारा नहीं किये जा रहे हैं। जिला उद्योग अधिकारी के द्वारा भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। अतः प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष की अनुमति से नियमित बैठक रखी जावे एवं अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने हेतु उनके विद्युत कनेक्शन को विच्छेद कर दिया जावे। बैठक का कार्यवाही विवरण प्रादेशिक कार्यालय तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम पर प्रेषित किया जावे। जिला स्तर पर उत्पन्न कठिनाइयों के ठोस निराकरण हेतु राज्य स्तर पर भी विचार किया जावेगा।

3. किसी भी बन्द आरा मशीन के परिसर में लकड़ी पड़ी होना साबित करता है कि रात्रिकाल एवं अन्य समय में इनका नियमित रूप से संचालन

किया जाता है। परन्तु ऐसी घटना के बावजूद इन बिना लाइसेंसशुदा आरा मशीन के परिसर में पाई जाने वाली लकड़ी को जब्त नहीं किया जाता है। अतः तुरन्त प्रभाव से समस्त लकड़ी बन्द आरा मशीन परिसर से जब्त की जावे तथा आरा मशीन मालिकों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया जावे। अवैध चल रही, आरा मशीनों के प्रकरण को किसी भी हालात में कम्पाउण्ड नहीं कराया जाये। कोर्ट में ऐसे प्रकरण पेश करते वक्त उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के बारे में कोर्ट को बतलाया जावे, जिससे प्रकरण की गंभीरता ट्रायल कोर्ट को रहे।

4. यह भी प्रतीत होता है कि उप वन संरक्षक के कार्यालय के उच्चतम कार्यालय जैसे वृत्त स्तर पर वन संरक्षक एवं प्रादेशिक संभाग स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के द्वारा अवैध आरा मशीनों के संचालन के बारे में समय-समय पर समीक्षा नहीं की जाती है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि अवैध आरा मशीन संचालन के प्रकरण सामने आने पर संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उनके नियंत्रक वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक के विरुद्ध परिवेक्षणीय शिथिलता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. वृत्त स्तर पर विशेष गश्तीदल गठन कर भिन्न-भिन्न समय पर अवैध आरा मशीन चालकों के विरुद्ध नियमित अंतराल में अभियान चलाया जावे एवं आवश्यकता होने पर पुलिस की सहायता भी प्राप्त की जावे। अवैध आरा मशीनों को नियमानुसार संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से सील कर एवं इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को भी उपलब्ध करवाई जावे तथा आस-पास के लोगों को भी दी जावे कि सील तोड़ने की स्थिति में उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही कराई जावेगी।

6. प्रत्येक प्रादेशिक वन मण्डल में अवैध आरा मशीनों के संचालन के लिए संवेदनशील स्थानों का चयन किया जावे एवं इन संवेदनशील क्षेत्र के लिए विशेष व्यूह रचना बनाकर अवैध आरा मशीन संचालन पर प्रभावी कार्यवाही की जावे।

इन दिशा-निर्देशों को उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को दी जाकर कठोरता के साथ लागू करने हेतु व्यवस्था सभी स्तर पर सुनिश्चित की जावें।

हस्ताक्षर/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ( )2008/वसु/प्रमुवसं/1823-1922 दिनांक 14.2.2008**

निमित्त :-मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक,

**विषय :- वुड हैण्डीक्राफ्ट आरा मशीन लाइसेंस हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वुड हैण्डीक्राफ्ट आरा मशीन के लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र अग्रेषित करते समय निम्नानुसार पूर्ति कर पत्रावली इस कार्यालय को प्रेषित करें :-

1. संबंधित उवसं/मवअ की अभिशंषा का पत्र एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट।
2. संबंधित उवसं/मवअ द्वारा आवेदनकर्ता की अवैध आरा मशीन संचालन आदि की रिपोर्ट।
3. आवेदन पत्र निर्धारित फार्म नं. 3 में पूर्णरूप से भरा हुआ।

4. साइट प्लान की हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रति, जिसमें समस्त विवरण एवं नापजोख दर्शाये गये हों एवं अमोनिया प्रिंट में बनवाया गया हो।

5. स्थापित की जाने वाली मशीन की साइज/टाइप/मेक/कैपेसिटी (एच.पी.) एवं अन्य विवरण।

6. जिस स्थान पर आरा मशीन स्थापित की जानी है, उसके स्वामित्व, किरायानामा, लीजडीड अथवा उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पत्ति आदि के संबंध में वैध दस्तावेज।

7. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पंजीकृत एसोसिएशन का स्थायी सदस्यता प्रमाण-पत्र।

8. डिवीजन से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु फीस जमा कराने की रसीद की सत्यापित छायाप्रति।

9. यदि 'सॉ मिल एक्ट' के अन्तर्गत कोई प्रकरण दर्ज/विचाराधीन/निर्णित हो तो उसकी घोषणा।

10. लकड़ी (कच्चा माल) प्राप्ति का स्रोत एवं गोल लकड़ी का उपयोग नहीं करने का शपथ पत्र। शपथ पत्र का नमूना :-

    (1) यह कि मेरे/मेरी फर्म द्वारा हरी लकड़ी अथवा गोल लकड़ी की प्राप्ति, क्रय, विक्रय, संग्रह, चिरान अथवा उपयोग नहीं किया जायेगा।

    (2) यह कि मेरे/मेरी फर्म द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म से चिरी हुई लकड़ी प्राप्त नहीं की जायेगी, जिसके पास आरा मशीन का वैध लाइसेंस तथा वैध सैल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा।

11. विभागीय नियमों की पालना करने का शपथ पत्र। शपथ पत्र का नमूना :-

    (1) यह कि मैं आरा मशीन के संचालन पर लागू होने वाले वन विभाग के साथ, श्रम उद्योग, पर्यावरण एवं अन्य विभागों के नियमों, अधिनियमों एवं सह संबंधित राज्यादेशों की पालना करने के लिए दायित्वबद्ध रहूंगा।

    (2) यह कि मैं आरा मशीन संचालन से संबंधित वे सभी दस्तावेज जो कि राजस्थान वन उपज आरा मिलों की स्थापना एवं नियमन/नियमन, 1983 एवं एतद् पश्चात् जारी हुए संशोधनों में वर्णित दस्तावेजों के समयबद्ध संधारण करने एवं उनकी सूचना वन विभाग को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए दायित्वबद्ध रहूंगा।

    (3) यह कि मेरे द्वारा आरामशीन के संचालन पर लागू होने वाले किसी भी नियम अधिनियम एवं राज्यादेशों का मेरे द्वारा पालन नहीं करने पर या उल्लंघन करने पर वन विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर मेरे लाइसेंस को निरस्त कर सकेगा।

भवदीय,<br>
हस्ताक्षर/-<br>
मुख्य वन संरक्षक,<br>
वन संरक्षण एवं सुरक्षा,<br>
वन भवन, जयपुर

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ ( )2008/वसु/प्रमुवसं/1923- 2022 दिनांक 14.2.2008**

**मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक,**

**विषय :- राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैध आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैध आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र अग्रेषित करते समय निम्नानुसार पूर्ति कर पत्रावली इस कार्यालय को प्रेषित करें:-

1. आरा मशीन मालिक द्वारा आरा मशीन स्थान परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण कारण बताते हुए आवेदन 3 प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावेंगे :-

   (1) मूल आरा मशीन अनुज्ञा पत्र एवं इसकी दो प्रमाणित प्रतियां।

   (2) मालिक द्वारा आरा मशीन के साइज, संख्या, मेक, कैपेसिटी आदि का स्पष्ट विवरण।

   (3) जिस स्थान पर आरा मशीन स्थानान्तरित की जानी है उस भूमि के स्वामित्व, किरायानामा, लीजडीड अथवा उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पत्ति आदि के संबंध में वैध दस्तावेज।

   (4) जिस स्थान पर आरा मशीन स्थानान्तरित की जानी है, उस स्थान का साइट प्लान एवं आरा मशीन का ले-आउट प्लान जिसमें आरा मशीन स्थापित करने का स्थान, लकड़ी स्टॉक का स्थान, अवशिष्ट पदार्थ रखने का स्थान आदि दर्शाया गया हो।

   (5) आरा मशीन मालिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उसके द्वारा स्वीकृत आरामशीनों की संख्या, प्रकार एवं चिराव क्षमता में वृद्धि नहीं की जायेगी।

2. उक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय द्वारा इसकी प्रतियां जिस स्थान से आरा मशीन परिवर्तन किया जा रहा है एवं जिस स्थान पर नया स्थापित परिवर्तन चाहा जा रहा है, से संबंधित अधिकार क्षेत्र के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचनायें अपनी टिप्पणी सहित प्रस्तुत की जावेंगी :-

   अ. अनुज्ञा अधिकारी (उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएँ/ टिप्पणी जिसके क्षेत्राधिकार से आरा मशीन स्थानान्तरित की जानी है :-

      (i) आरा मशीन मालिक द्वारा आरा मशीन चलाई जा रही है या नहीं। नियमों में विहित रिकॉर्ड/रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है या नहीं।

      (ii) आरा मशीन के स्थल का मौका निरीक्षण रिपोर्ट।

      (iii) आरा मशीन मालिक द्वारा आरा मशीन नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसका विवरण।

      (iv) आरा मशीन मालिक द्वारा किये गये अपराधों का संक्षिप्त विवरण।

      (v) वर्तमान आरा मशीनों में लगाये गये आरा उपकरणों की संख्या, क्षमता एवं प्रकार का विवरण।

      (vi) आरा मशीन स्थान परिवर्तन के लिए उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी की अनुशंषा। वर्तमान में उक्त आरा मशीन कहां पर स्थित है? आरा मशीन स्थान परिवर्तन का औचित्य स्पष्ट अंकित किया जावे।

   ब. अनुज्ञा अधिकारी (उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं/ टिप्पणी जिसके अधिकार क्षेत्र में

नवीन स्थान परिवर्तन किया जाना है :-

(i) आरा मशीन के नवीन स्थान/परिसर का सत्यापन एवं सत्यापन की रिपोर्ट।

(ii) नवीन स्थान पर आरा मशीन में आने वाली लकड़ी के स्रोत का विवरण।

(iii) नवीन स्थान पर आरा मशीन स्थापित किये जाने से वनक्षेत्र को नुकसान पहुँचाने के संबंध में टिप्पणी।

(iv) आरा मशीन नवीन स्थान की वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य से दूरी का विवरण।

(v) आरा मशीन स्थान परिवर्तन ऐसे क्षेत्र में तो स्थित नहीं है जो कि अन्यथा संबंधी नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र हो।

(vi) आरा मशीन के नवीन स्थान परिवर्तन हेतु उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी की अनुशंषा।

3. यदि आरा मशीन का नवीन स्थान परिवर्तन आरा मशीन के पूर्व स्थल हेतु अधिकृत अनुज्ञा अधिकारी (उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी) के अधिकार क्षेत्र में ही आता है तो बिन्दु संख्या 2 (अ) एवं (ब) से संबंधित दोनों सूचनाएँ संबंधित (उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी) द्वारा ही प्रस्तुत की जावेंगी।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण एवं सुरक्षा,
वन भवन, जयपुर

---

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ36(7)03/वसु/प्रमुवसं/4573- 4702 दिनांक 17.4.2008**

**विषय :- आरा मशीन स्थान परिवर्तन बाबत्।**

**प्रसंग : सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (सीईसी), नई दिल्ली का पत्रांक 2-7/सीईसी/एससी/2008/पार्ट-VI दिनांक 31.3.2008**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सीईसी, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के क्रम में जो दिनांक 31.3.2008 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में लेख है कि अब लाइसेंसशुदा आरा मशीन उसी जिले, जिसमें वो पंजीकृत हैं, स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु एक जिले से दूसरे जिले में स्थान परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं।

आपके वन मण्डलाधीन के ऐसे वैध आरामशीन लाइसेंस जो सहवन से पूर्व में आप द्वारा भेजी गई पंजीकृत आरा मशीनों की सूची में समाविष्ट करने से रह गये थे, की सूचना भी अविलंब प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
मुख्य वन संरक्षक,
वन संरक्षण एवं सुरक्षा, जयपुर

---

***तत्र केशव सान्निध्य यत्रास्ति तुलसी वनम्।***
***तत्र ब्रह्मा च कमला सर्वदेवगणे सह।।***

- (पदम पुराण, अध्याय 26, श्लोक 38)

''जहाँ पर तुलसी का वन होता है वहाँ पर केशव (विष्णु) भगवान उपस्थित रहते हैं और वहीं पर ब्रह्मा, लक्ष्मी और अन्य समस्त देवगण भी केशव के साथ ही रहते हैं।''